



भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

कोटेशन के लिए अनुरोध (RFQ)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय के लिए
आरएफआईडी आधारित अचल संपत्ति सोल्युशन (एफएएमएस)

भाग 1 - तकनीकी बोली

भारतीय रिजर्व बैंक
देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय

बोलीदाता का नाम :

बोली लगाने वाले का पता:

बोली लगाने वाले का संपर्क नंबर:

बोलीदाता की ईमेल आईडी:

बोलीदाता के प्रतिनिधि का नाम और पदनाम :

पार्टियों को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध निविदा की तिथि	15 दिसंबर, 2025 15:00 बजे से
प्री-बिड मीटिंग की तारीख और स्थान	22 दिसम्बर, 2025 11:00 बजे से पहली मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून- 248013
भाग 1- तकनीकी बोली जमा करने की अंतिम तिथि (सीलबंद कोटेशन)	04 जनवरी, 2025 17:00 बजे तक
भाग 1-तकनीकी बोली खोलने की तिथि	05 जनवरी, 2025 को 15:00 बजे पहली मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून- 248013
भाग 2 - मूल्य बोली खोलने की तिथि	भाग 1 की जांच पूरी होने के बाद पात्र बोलीदाताओं को अलग से सूचित किया जाएगा

निविदा सूचना

भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय ने देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय के लिए "आरएफआईडी आधारित अचल संपत्ति प्रबंधन सोल्युशन" के लिए पात्र और इच्छुक फर्मों से निविदा आमंत्रित की है। काम की अनुमानित लागत ₹ 90,000 (जीएसटी सहित) मात्र है।

1. यह ऑफलाइन मोड में एक खुली निविदा है। केवल वे फर्म जो उक्त कार्य करने में रुचि रखती हैं, जो पात्रता मानदंडों के अनुसार खुद को उपयुक्त पाती हैं, निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं। निविदा दस्तावेज बैंक की वेबसाइट https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx पर 15 दिसंबर, 2025 से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

2. निविदा दो भागों में ऑफलाइन प्रस्तुत की जाएगी। निविदा के भाग-। में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें शामिल होंगी, जिन पर सहमति होनी चाहिए, ठीक से भरा जाना चाहिए और निविदाकर्ताओं द्वारा उनकी मुहर के साथ हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। निविदा के भाग- ॥ में बैंक की मात्रा की अनुमूल्यी और निविदाकर्ता की मूल्य बोली को सीलबंद लिफाफे में अलग से बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी तिथि की सूचना तकनीकी बोलियों की जांच के बाद सभी बोलीदाताओं को बाद में दी जाएगी।

3. पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली और कार्य प्रदान करने के लिए विचार किए जाने की इच्छुक फर्मों को एस्टेट विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून- 248013 में स्थित कोटेशन बॉक्स में एक सीलबंद उद्धरण में निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेजों को 04 जनवरी, 2025 को 17:00 बजे से पहले तक प्रस्तुत करना चाहिए।

4. निविदा का भाग- । 05 जनवरी, 2025 को 15:00 बजे पहली मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून-248013 में खोला जाएगा।

निविदा की समय-सीमा नीचे भाग-। में उल्लिखित है ।

सूची

सामग्री

निविदा सूचना	2
अस्वीकरण	4
भाग I: कोटेशन आमंत्रित करने की सूचना	5
भाग II: बोलीदाताओं को निर्देश	8
भाग III: अनुबंध की विशेष शर्तें	11
भाग IV: परियोजना सूचना	14
भाग V: निष्पादन बैंक गारंटी के प्रोफार्मा के लिए प्रारूप	16
भाग VI: मात्रा के बिना मूल्य के बिल के लिए प्रारूप	19
भाग VII: बोलीदाताओं का विवरण	20
अनुबंध ए: अपेक्षित हार्डवेयर के स्वामित्व के संबंध में घोषणा	21
अनुबंध बी: आरएफआईडी टैग के लिए एन्कोडिंग प्रथाओं पर पुष्टि	
अनुबंध सी: परिसंपत्तियों के प्रकार (सांकेतिक और गैर-संपूर्ण सूची)	
अनुबंध डी: दायरे में शामिल सेवाओं के लिए जिम्मेदारियां और डिलिवरेबल्स	
अनुबंध ई: शिकायत वृद्धि मैट्रिक्स	30
भाग VIII: आर्टिकल ऑफ असोशिएशन के लिए सांकेतिक प्रारूप	31

कुल पृष्ठ —

अस्वीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय (इसके बाद आरएफक्यू में "बैंक" या "आरबीआई" या "भारतीय रिजर्व बैंक" के नाम से संबोधित) लागत प्रभावी तरीके से भौतिक सत्यापन और अचल संपत्तियों के समाधान के लिए आरएफआईडी प्रौद्योगिकी-आधारित परिसंपत्ति प्रबंधन समाधान को लागू करना चाहता है। बैंक आरएफआईडी टैग की खरीद और संबद्ध सेवाओं की डिलीवरी के लिए इच्छुक विक्रेताओं से कोटेशन आमंत्रित करता है। बैंक एक ऐसे विक्रेता का चयन करेगा जो प्रतिस्पर्धी मूल्य पर आरएफक्यू दस्तावेज़ में विस्तृत परिसंपत्ति टैगिंग और रीकंसिलेशन सेवाएं प्रदान कर सकता है।

यह आरएफक्यू न तो कोई करार है, न ही किसी पार्टी को किसी भी प्रकार का काम करने का निमंत्रण है।

इस आरएफक्यू का उद्देश्य सभी इच्छुक पार्टियों को अपनी बोली जमा करने के लिए बैंक की आवश्यकता निर्धारित करना है। जबकि आरबीआई ने यहां निहित सूचना तैयार करने में उचित सावधानी बरती है, आरबीआई यह दावा नहीं करता है कि सूचना संपूर्ण है। इस RFQ के उत्तरदाताओं को केवल RFQ में दी गई जानकारी पर भरोसा करने के बजाय अपनी पूछताछ स्वयं करना आवश्यक है। यदि उत्तरदाताओं द्वारा उचित सावधानी नहीं बरती जाती है तो उसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक जिम्मेदार नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक परियोजना के साथ आगे न बढ़ने या परियोजना के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

भाग I: कोटेशन आमंत्रित करने की सूचना

1.1	कार्य का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय के लिए आरएफआईडी आधारित अचल संपत्ति प्रबंधन सोल्युशन (एफएएमएस)	
1.1.1	न्यूनतम पात्रता मानदंड: <ol style="list-style-type: none"> विक्रेता को 30 नवंबर, 2025 तक कम से कम पिछले 3 वर्षों से आरएफआईडी आधारित परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली/समाधान प्रदान करने के व्यवसाय में होना चाहिए और इसी तरह का कार्य निष्पादित करना चाहिए। (निष्पादित कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र (कम से कम एक) (अनुमानित लागत के समकक्ष) प्रस्तुत किया जाना है)। 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान विक्रेता का वार्षिक कारोबार अनुमानित लागत के 100 प्रतिशत या उससे अधिक के बराबर होना चाहिए। (टर्नओवर के पिछले 3 वर्षों के लिए सीए से प्रमाण पत्र जमा किया जाना है) आरएफआईडी आधारित परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली/समाधान प्रदान करने के व्यवसाय में भागीदारी की पुष्टि करने के लिए विक्रेता को उपयुक्त अधिकारियों के साथ पंजीकृत होना चाहिए। (आवश्यक पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा किया जाना है)। काम करने के लिए विक्रेता के पास अपने स्वयं के आरएफआईडी स्कैनर, टैग प्रिंटर आदि होने चाहिए। <u>(अनुबंध ए में निर्दिष्ट मेक, मॉडल संख्या आदि से संबंधित आवश्यक विवरण के साथ विक्रेता के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाएगा)।</u> विक्रेता को काम की अनुमानित लागत के लिए आवेदक के बैंकर द्वारा जारी नवीनतम सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। (आवश्यक प्रमाण पत्र जमा किया जाना है)। 	

2. महत्वपूर्ण जानकारी:

A	कार्य की अनुमानित लागत	₹ 90,000/- (रुपये नब्बे हजार मात्र) जीएसटी सहित।
B	पूर्ण बोली जमा करने की अंतिम तिथि	04 जनवरी, 2025 17:00 बजे तक
C	तकनीकी बोलियां खोलने की तिथि और समय	05 जनवरी, 2025 पर 15:00 बजे पहली मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून- 248013
D	मूल्य बोलियां खोलने की तिथि और समय	भाग 1 की जांच पूरी होने के बाद पात्र बोलीदाताओं को अलग से सूचित किया जाएगा
F	प्रतिधारण धन	सुरक्षा जमा और प्रदर्शन बैंक गोरंटी (खंड 3.8)।

G	परिसमापन क्षति/जुर्माना	<p>परिसंपत्तियों के लिए नए और प्रतिस्थापन आरएफआईटी टैग की आपूर्ति में देरी और टैग के लिए अनुरोध करने की तारीख से 15 दिनों से अधिक पर इन्वेंट्री पर टैग लगाने पर प्रति दिन ₹100/- (केवल एक सौ रुपये) की राशि का जुर्माना लगेगा और फर्म/विक्रेता के बिल से काट लिया जाएगा।</p> <p>सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी (दोषपूर्ण टैग की आपूर्ति के किसी भी उदाहरण सहित, निर्धारित समय-अवधि के भीतर भौतिक सत्यापन और रीकंसिलेशन अभ्यास आदि को पूरा करने में देरी सहित) पर ₹1000/- (एक हजार रुपये केवल) प्रति उदाहरण के लिए और फर्म/विक्रेता के बिल से काट लिया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि ऊपर उल्लिखित प्रत्येक प्रकार की कमी को अलग/व्यक्तिगत उदाहरण के रूप में गिना जाएगा। यदि परिसमापन क्षति/दंड के प्रकार का निर्धारण करने में कोई मतभेद है, तो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय अंतिम और विक्रेता के लिए बाध्यकारी होगा। बैंक बोलीदाता/फर्म/विक्रेता द्वारा बैंक को दी गई सुरक्षा जमा/निष्पादन बैंक गारंटी को जब्त करने/लागू करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।</p>
---	-------------------------	--

H	भुगतान की शर्त	कार्य पूरा होने पर 100% (खंड 3.4)
I	उद्धरण की वैधता	तकनीकी बोली खोलने की तारीख से 90 दिन तक
J	उत्पन्न होने वाले सभी विवाद क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे	देहरादून
K	पूर्ण बोलियां भेजने के लिए पता	<p>पूरा पता: सेवा में, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, सम्पदा विभाग, प्लॉट नंबर 16-17, आईटी पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून 248013</p> <p>कोटेशन बॉक्स भारतीय रिजर्व बैंक, प्लॉट नंबर 16-17, आईटी पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून 248013 के रिसेप्शन पर रखा गया है</p>
L	प्री-बिड बैठक	22 दिसम्बर, 2025 को 11:00 बजे पहली मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून- 248013
M	इस RFQ के संबंध में पत्राचार के लिए संपर्क व्यक्ति	<p>नाम और पदनाम 1: सोनूसिंह यादव फोन: 8141228253</p> <p>नाम और पदनाम 2: हरीश कुमार मोबाइल: 9805299151</p>

N	ईएमडी	<p>₹ 1,800/- (एक हजार आठ सौ रुपये मात्र)। ईएमडी को एनईएफटी के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून के पक्ष में प्रस्तुत किया जाएगा।</p> <p>खाता संख्या- 1860003001 IFSC कोड- RBIS0DNPA01 (5 वें और 10^{वें} अंक शून्य हैं)</p> <p>खाता नाम- भारतीय रिजर्व बैंक</p> <p>नोट: उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार जापन संख्या) वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को ईएमडी के भुगतान से छूट दी गई है। कृपया ध्यान दें कि ईएमडी ब्याज मुक्त होगा और एल 1 / सफल बोलीदाता को कार्य आदेश देने के बाद असफल बोलीदाताओं को वापस कर दिया जाएगा। हालांकि, ईएमडी को एल1 बोलीदाता/सफल बोलीदाता को प्रतिभूति जमा को जमा करने के बाद ही वापस किया जाएगा।</p> <p>ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा यदि-</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 1. बोलीदाता प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों, बयानों और अनुलग्नकों में भ्रामक या गलत अन्यावेदन करता है। 2. किसी भी भौतिक जानकारी, अदालत में लंबित किसी भी कानूनी कार्यवाही के विवरण को छिपाया गया है जो अन्यथा पात्रता मानदंड पर कोई प्रभाव पैदा कर सकता है। 3. बोली वैधता की अवधि के दौरान बोली वापस ले लेता है। 4. अनुबंध मिलने के बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करता है। या 5. किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाला गया है और ब्लैक लिस्ट अभी भी लागू है। 6. कार्य पूरा करने में विफल रहता है।
O	निविदा का तरीका	ऑफलाइन निविदा। कोटेशन बॉक्स भारतीय रिजर्व बैंक, प्लॉट नंबर 16-17, आईटी पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून 248013 के रिसेप्शन पर रखा गया है।
1.3	क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, सम्पदा विभाग, प्लॉट नंबर 16-17, आईटी पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून 248013, बिना किसी कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं और किसी भी नियम और शर्तों में छूट देने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं। किसी भी बोलीदाता के पास अपनी बोली की अस्वीकृति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विरुद्ध कार्रवाई या दावा करने का कोई कारण नहीं होगा।	
1.4	इस आरएफक्यू के जवाब में प्रस्तुत की गई सभी जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक की संपत्ति होगी और यह अपनी इच्छा पर इसकी अवधारणा का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।	

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
देहरादून

भाग II: बोलीदाताओं को निर्देश

2.1	भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय ने भारतीय रिजर्व बैंक, प्लॉट नंबर 16-17, आईटी पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून 248013 की मुहरबंद बोलियां रिसेप्शन आमंत्रित कीं। बोलीदाताओं को 04 जनवरी, 2025 के 17:00 बजे तक तकनीकी बोली (भाग 1) जमा करनी होगी और भाग 1 की जांच पूरी होने के बाद पात्र बोलीदाताओं को मूल्य बोलियां खोलने की सूचना अलग से दी जाएगी।
2.2	बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आरएफक्यू दस्तावेजों के सभी अनुभागों का अच्छी तरह से अध्ययन करें। बोलियां प्रस्तुत करने को आरएफक्यू दस्तावेजों के सावधानीपूर्वक अध्ययन और जांच के बाद इसके निहितार्थों की पूरी समझ के बाद प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।
2.3	आरएफक्यू दस्तावेज़ में संशोधन:
2.3.1	बोलियां जमा करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, भारतीय रिजर्व बैंक, किसी भी कारण से, चाहे वह अपनी पहल पर हो या संभावित बोलीदाता द्वारा उठाए गए स्पष्टीकरण या प्रश्न के उत्तर में, एक संशोधन द्वारा आरएफक्यू को संशोधित कर सकता है।
2.3.2	परिशिष्ट/शुद्धिपत्र के रूप में उक्त संशोधन उन सभी संभावित बोलीदाताओं को भेजा जाएगा, जिन्हें आरएफक्यू कोटेशन आमंत्रित करने की सूचना के खंड 1.2 (बी) में उल्लिखित अंतिम तिथि को या उससे पहले भेजा गया है। यह संचार डाक या फैक्स द्वारा लिखित रूप में या भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट (https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx) पर होस्ट किया जाएगा और यह सभी बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा। संभावित बोलीदाताओं को तुरंत भारतीय रिजर्व बैंक को फैक्स या मेल/कूरियर द्वारा परिशिष्ट/शुद्धिपत्र की प्राप्ति की स्वीकृति देनी चाहिए। जारी किए गए परिशिष्ट आरएफक्यू दस्तावेजों का हिस्सा होंगे।
2.3.3	ऐसे संशोधनों को ध्यान में रखते हुए भावी बोलीदाताओं को अपनी बोलियां तैयार करने के लिए उचित समय देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अपने विवेक से बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है।
2.4	बोली की तैयारी:
2.4.1	तकनीकी बोली (भाग 1 - खंड I से VII):
(i)	खंड I से VII तकनीकी बोली का हिस्सा हैं। सभी खंडों पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
(ii)	बोलीदाता को खंड V और VII में निर्दिष्ट सभी विवरण भरने होंगे।
(iii)	आरएफक्यू दस्तावेज अंग्रेजी में भरे जाने चाहिए और सभी प्रविष्टियां हाथ से की जानी चाहिए और स्याही से लिखी जानी चाहिए। यदि कोई दस्तावेज गुम है या अहस्ताक्षरित है, तो बैंक द्वारा अपने विवेक पर कोटेशन को अमान्य माना जा सकता है।
2.4.2	मूल्य बोली (बैंक द्वारा अलग से जारी भाग 2 देखें):
(i)	बोली की मुद्रा: बोली की कीमतें केवल भारतीय रूपये में उद्धृत की जाएंगी। इन कीमतों में काम से जुड़ी सभी लागतें शामिल होनी चाहिए, जिनमें कोई भी खर्च, सभी कर, शुल्क, लेवी, उपकर, जीएसटी, बीमा, परिवहन, प्रवेश कर, डब्ल्यूसीटी, श्रम, अन्य सरकारी कर आदि शामिल हैं।

(ii)	राशि में किसी भी सुधार को बोलीदाता द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
(iii)	कीमत को मूल्य बोली के अनुरूप सख्ती से उद्धृत किया जाना चाहिए, किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मूल्य बोली खोलने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।
(iv)	यदि मूल्य बोली का कोई कॉलम खाली पाया जाता है तो संबंधित बोलीदाताओं के उद्धरण को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और आरबीआई द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा और ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा।
(v)	बोलीदाताओं को मूल्य बोली में हार्डवेयर की आवश्यकता के लिए लागत का अनुमान लगाने के लिए अचल संपत्तियों के प्रकार और गणना पर अनलग्नक सी का संदर्भ ग्रहण करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनलग्नक सी में उल्लिखित मदों की सूची में परिवर्तन करने का विवेकाधिकार है।
2.4.3	प्रत्येक बोलीदाता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह सभी स्थानीय परिस्थितियों और कारकों से पूरी तरह परिचित हो, जिसका अनुबंध के प्रदर्शन और वस्तुओं की लागत पर कोई प्रभाव पेड़ेगा। बोलीदाता द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद किसी भी स्थानीय स्थिति या कारक के कारण वस्तुओं की डिलीवरी की कीमत या समय अनुसूची में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा।
2.5	बोलियों की वैधता की अवधि: बोली खंड 1.2 (I) में बताई गई अवधि के लिए RBI द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए मान्य होगी। यदि आवश्यक हो तो इस अवधि को पारस्परिक रूप से और बढ़ाया जाएगा।
2.6	बोलियां जमा करने की प्रक्रिया:

	इस बोली के लिए टू-कवर सिस्टम का प्रस्ताव इस प्रकार है -
2.6.1	बोली (लिफाफा 1) में निम्नलिखित चीज़ें शामिल हैं -
(a)	तकनीकी बोली (भाग 1 - खंड I से धारा VII) एक कवर में "(तकनीकी बोली और 1.1 के खंड में उल्लिखित कार्य का नाम) और प्रस्तुत करने की तारीख" कवर के ऊपर लिखी जानी चाहिए। कृपया ध्यान दें कि तकनीकी बोली में कीमतों का संकेत नहीं दिया जाना चाहिए।
2.6.2	मूल्य बोली (लिफाफा 2) - मूल्य बोली (भाग 2) एक कवर में "(मूल्य बोली और 1.1 के खंड में उल्लिखित कार्य का नाम) और प्रस्तुत करने की तारीख" कवर के ऊपर लिखी जानी चाहिए।
2.6.3	दोनों लिफाफे (1 और 2) यानी तकनीकी और मूल्य बोलियों को अलग-अलग एकल सीलबंद कवर में रखा जाना है, जिस पर आरएफक्यू अंकित होगा (खंड 1.1 में उल्लिखित कार्य का नाम)।
2.6.4	सभी कवर में बोलीदाता का नाम और पता भी स्पष्ट रूप से होना चाहिए।
2.6.5	यदि एकल सीलबंद कवर खोलने पर, यह पता चलता है कि तकनीकी बोली और मूल्य बोली को अलग-अलग कवर में नहीं रखा गया है, तो बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।
2.7	कोई सशर्त/वैकल्पिक उद्धरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2.8	बोलीदाताओं को बोलियां प्राप्त होने के बाद अपनी बोलियों को बदलने या संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2.9	बोलियों की प्राप्ति:

	तकनीकी बोली (लिफाफा 1) के लिए सीलबंद बोली निर्धारित समय और तारीख तक स्वीकार की जाएगी, जैसा कि खंड 1.2 (बी) में निर्दिष्ट है। बोली को भारतीय रिजर्व बैंक, प्लॉट नंबर 16-17, आईटी पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून 248013 के रिसेप्शन पर कोटेशन बॉक्स में एक सीलबंद कोटेशन में खंड 1.2 (बी) के अनुसार निर्धारित अंतिम दिन और समय से पहले प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
2.10	तकनीकी बोली खोलना:
	तकनीकी बोली (लिफाफा 1) 05 जनवरी, 2025 को 15.00 बजे पहली मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून-248013 पर खंड 1.2 (सी) में निर्दिष्ट निर्धारित समय और तारीख पर खोली जाएगी। बोलीदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं, यदि वे चाहें तो।
2.11	तकनीकी बोली की जांच:
2.11.1	तकनीकी बोली का मूल्यांकन अनुबंध की विशेष स्थिति (भाग III) में इंगित प्रक्रिया और भाग I के खंड 1.1.1 में न्यूनतम पात्रता मानदंड के अनुसार किया जाएगा।
2.11.2	तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के बाद, शॉर्ट-लिस्ट किए गए बोलीदाताओं के नाम सभी बोलीदाताओं को सूचित किए जाएंगे। प्रस्ताव की तकनीकी उपयुक्तता पर बैंक का निर्णय अंतिम होगा और चर्चा के लिए खुला नहीं होगा।
2.12	मूल्य बोली खोलना:
	शॉर्ट-लिस्ट किए गए बोलीदाताओं की मूल्य बोलियां बाद में खोली जाएंगी और ऐसे शॉर्ट-लिस्ट किए गए बोलीदाताओं को तदनुसार तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाएगा। यदि वे चाहें तो शॉर्ट-लिस्ट किए गए बोलीदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।
2.13	बैंक को आपूर्ति आदेश के प्लेसमेंट/अनुबंध पर हस्ताक्षर के समय मात्रा में बदलाव करने या चयनित बोलीदाताओं के बीच आदेश को विभाजित करने का अधिकार है।
2.14	किसी भी बोली को स्वीकार करने और किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार:
	ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी, भारतीय रिजर्व बैंक अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी समय किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाताओं के प्रति कोई दायित्व नहीं पड़ता है। बैंक किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताएगा।
	भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित के कारण अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी चरण में चयन प्रक्रिया को रद्द करने/समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:
(a)	यदि कोई बोली प्राप्त नहीं होती है।
(b)	किसी भी घटना के घटित होने पर जिसके कारण चयन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना संभव नहीं है।
(c)	बोलीदाताओं की ओर से संभावित सहकार्यता/कुचेष्टा का साक्ष्य, चयन प्रक्रिया की प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता को प्रभावित करता है।
(d)	कोई अन्य कारण, जिसके कारण बैंक की राय में चयन प्रक्रिया को रद्द करना आवश्यक हो।

(e)	<p>ऐसी किसी भी घटना के घटित होने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक सभी बोलीदाताओं को 7 दिनों या ऐसे निर्णय के किसी भी उचित समय के भीतर सूचित करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूति, यदि कोई हो, को 15 दिनों के भीतर या इस तरह के नोटिस जारी करने के किसी भी उचित समय के भीतर तुरंत वापस कर देगा। भारतीय रिज़र्व बैंक इस संबंध में किसी भी बोलीदाता को कोई कारण या स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं हैं। इस खंड के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक की देयता बोली प्रतिभूति को वापस करने तक ही सीमित है और इस खाते पर बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की लागत/व्यय की कोई अन्य प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।</p>
(f)	<p>बैंक प्रक्रिया को फिर से निविदा देने/नए कोटेशन वापस लेने या किसी सरकारी एजेंसी या अर्ध सरकारी एजेंसी द्वारा कार्य करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि बैंक की राय है कि प्राप्त बोलियां आर्थिक रूप से या अन्यथा व्यवहार्य नहीं हैं या उपरोक्त उपखंड (ए) से (डी) में दिए गए कारणों से स्वीकार्य नहीं हैं।</p>
2.15	<p>विवाद:</p>
	<p>उत्पन्न होने वाले सभी विवाद उपयुक्त न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे जैसा कि खंड 1.2 (जे) में दर्शाया गया है, यानी देहरादून की अदालतें और भारत के कानूनों द्वारा शासित होंगी।</p>

स्थान:

(स्टाम्प के साथ बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर)

दिनांक:

(नाम)

भाग III: अनुबंध की विशेष शर्तें

3.1.1	मूल्यांकन प्रक्रिया का उद्देश्य प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन करना और एक ऐसे विक्रेता का चयन करना है जो प्रतिस्पर्धी मूल्य पर परिसंपत्ति टैगिंग और सुलह सेवाएं प्रदान कर सकता है। मूल्यांकन और चयन के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
3.1.2	बोलीदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एफएमएस परियोजना के मूल्यांकन के लिए अपनी बोली पर विचार करने के लिए तकनीकी बोली और मूल्य बोली दोनों पर प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करें।
3.1.3	तकनीकी बोली के हिस्से के रूप में, बैंक यह जांच करेगा कि बोलीदाता उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण और साक्ष्यों के आधार पर भाग 1.1.1 में उल्लिखित न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं। बैंक धारा I से VII में उल्लिखित अन्य आवश्यकताओं का भी मूल्यांकन करेगा। जो बोलीदाता आवश्यक दस्तावेज, जमा/बैंक गारंटी, और/या कोई अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करने में असमर्थ हैं, उन्हें मूल्यांकन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
3.1.4	तकनीकी बोली के हिस्से के रूप में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करने वाले बोलीदाता मूल्यांकन के अगले चरण में जाएंगे। मूल्य बोलियां केवल ऐसे बोलीदाताओं के लिए खोली जाएंगी जो तकनीकी बोली में अहंता प्राप्त करते हैं।
3.1.5	मूल्य बोलियां खोलने के बाद, मूल्य बोली के लिए सबसे कम बोली वाले बोलीदाता को एल1 और इसी तरह रैंक किया जाएगा।
3.1.6	सबसे कम कीमत की बोली (एल 1) के साथ ऐसे बोलीदाता को सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा और अनुबंध दिया जाएगा।
3.2	करार का निष्पादन: बैंक से उसके उद्धरण की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल बोलीदाता देहरादून में चौदह दिनों के भीतर औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। करार के निष्पादन के लिए आवश्यक स्टांप पेपर की लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी। करार के लेख का प्रारूप धारा VIII में प्रदान किया गया है। सफल बोलीदाता को धारा VIII में निर्दिष्ट सभी विवरण भरने होंगे और समझौते के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर लगाना होगा और हस्ताक्षर करना होगा।
3.3	परिसमापन क्षति/जुर्माना 1. परिसंपत्तियों के लिए नए और प्रतिस्थापन आरएफआईडी टैग की आपूर्ति में देरी और टैग के लिए अनुरोध करने की तारीख से 15 दिनों से अधिक इन्वेंट्री पर टैग लगाने पर प्रति दिन 100 रुपये (केवल एक सौ रुपये) की राशि का जुर्माना लगेगा और बोलीदाता/विक्रेता के बिल से काट लिया जाएगा। 2. सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी (दोषपूर्ण टैग की आपूर्ति, भौतिक सत्यापन और रीकंसिलेशन अभ्यास आदि को पूरा करने में देरी सहित और इन्हीं तक सीमित नहीं है) पर प्रति उदाहरण 1000/- रुपये (केवल एक हजार रुपये) की राशि का जुर्माना लगेगा और बोलीदाता/विक्रेता के बिल से काट लिया जाएगा। यदि परिसमापन क्षति/जुर्माने के प्रकार का निर्धारण करने में कोई मतभेद है, तो इस

	<p>संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा और बोलीदाता/विक्रेता के लिए बाध्यकारी होगा।</p> <p>बैंक बोलीदाता/विक्रेता द्वारा बैंक को दी गई सुरक्षा जमा/निष्पादन बैंक गारंटी को जब्त करने/लागू करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।</p> <p>कृपया ध्यान दें कि ऊपर उल्लिखित प्रत्येक प्रकार की कमी को अलग/व्यष्टि उदाहरण के रूप में गिना जाएगा।</p>
3.4	<p>भुगतान की शर्तें:</p> <p>(i) वास्तविक आरएफआईडी टैग की आपूर्ति, टैगिंग कार्य और सुलह के लिए शुल्क का 100% भुगतान सभी प्रकार से काम पूरा होने के बाद किया जाएगा, यानी निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार बैंक की संतुष्टि के अनुसार:</p> <p>(ii) 1. मूल्य बोली के खंड ए में उल्लिखित टैगों की संख्या अनुमानित है और संबंधित छमाही प्रक्रिया के दौरान लागू वास्तविक टैग के लिए भुगतान के अधीन है। आरएफआईडी टैग के अर्ध-वार्षिक जोड़ने/बदलने के शुल्क का भुगतान आरएफआईडी टैग की वास्तविक डिलीवरी और बोलीदाता द्वारा उठाए गए उचित जीएसटी चालान की जांच के बाद मूल्य बोली के खंड ए में उद्धृत कीमतों के आधार पर किया जाएगा। बैंक इस गतिविधि के लिए जारी किए गए उचित जीएसटी चालान में लगाए गए शुल्कों को छोड़कर किसी भी शुल्क का भुगतान नहीं करेगा, बशर्ते कि इस तरह के चालान की जांच की जाए। अंतिम अर्ध-वार्षिक बिल में अभ्यास के दौरान लागू टैग की वास्तविक संख्या की कीमत (मूल्य बोली की धारा ए) और अर्ध-वार्षिक 'रीकंसिलेशन' प्रक्रिया (मूल्य बोली के भाग बी) के लिए शुल्क शामिल होना चाहिए।</p> <p>2. बोलीदाता द्वारा जारी किए गए उचित जीएसटी चालान की जांच के बाद और मूल्य बोली के खंड बी में उद्धृत कीमतों के अनुसार समाधान सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान छमाही आधार पर किया जाएगा। बैंक इस गतिविधि के लिए जारी किए गए उचित जीएसटी चालान में लगाए गए शुल्कों को छोड़कर किसी भी शुल्क का भुगतान नहीं करेगा, बशर्ते कि इस तरह के चालान की जांच की जाए। अंतिम अर्ध-वार्षिक बिल में अभ्यास के दौरान लागू टैग की वास्तविक संख्या की कीमत (मूल्य बोली की धारा ए) और अर्ध-वार्षिक 'रीकंसिलेशन' प्रक्रिया (मूल्य बोली के भाग बी) के लिए शुल्क शामिल होना चाहिए।</p>
(iii)	प्रत्येक भुगतान कानून के अनुसार वैधानिक कटौती के लिए उत्तरदायी होगा।
3.5	<p>अप्रत्याशित घटना:</p> <p>बोलीदाता ईएमडी जब्त होने, परिसमाप्ति क्षति या डिफॉल्ट के लिए समाप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रदर्शन में देरी या अन्य विफलता अप्रत्याशित घटना की घटना का परिणाम है, बशर्ते कि बोलीदाता बैंक को इस तरह की घटना के बारे में सूचित करे। खंड के प्रयोजनों के लिए, "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ है बोलीदाता के नियंत्रण से परे कोई घटना और बोलीदाता की गलती या लापरवाही को शामिल नहीं करना और जो पूर्व अनुमानित नहीं है। इस तरह की घटनाओं में युद्ध या क्रांतियां, आग, बाढ़, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, माल प्रतिबंध आदि शामिल हो सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक यह तय करेगा कि बोलीदाता की ओर से देरी या विफलता उसके नियंत्रण से बाहर किसी घटना का परिणाम थी या नहीं। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।</p> <p>बोलीदाता और किसी भी कार्यवाही में किसी भी अदालत / मंच के समक्ष सवाल करने के लिए खूला नहीं होगा।</p>

3.6	उल्लंघन पर समाप्ति
3.6.1	बैंक, अनुबंध के उल्लंघन के लिए किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोलीदाता को भेजे गए उल्लंघन के सात (07) दिनों की लिखित सूचना और बोलीदाता की विफलता और डिफॉल्ट को ठीक करने के लिए किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव करने और/या निष्पादित करने की उपेक्षा पर, अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है:
(i)	यदि बोलीदाता अनुबंध में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर किसी भी या सभी वस्तुओं को वितरित करने में विफल रहता है; या
(ii)	यदि बोलीदाता अनुबंध के तहत किसी अन्य दायित्व (दायित्वों) को पूरा करने में विफल रहता है।
3.6.2	चूक के लिए अनुबंध की समाप्ति पर, बोलीदाता की ईएमडी/प्रदर्शन बैंक गारंटी/सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी और बोलीदाता को तीन साल की अवधि के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा।
3.6.3	दिवालियापन पर समाप्ति:
	बैंक, किसी भी समय, बोलीदाता को मुआवजे के बिना, बोलीदाता को लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सकता है, यदि बोलीदाता दिवालिया हो जाता है या अन्यथा शोधाक्षम हो जाता है, बशर्ते कि इस तरह की समाप्ति किसी भी कार्रवाई या उपाय के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी जो बैंक को अर्जित हो गई है या उसके बाद अर्जित होगी।
3.7	सामान्य नियम और शर्तें:
3.7.1	बैंक संतोषजनक प्रदर्शन के अंदीन 1 वर्ष की अवधि के लिए सफल बोलीदाता (विक्रेता) के साथ अनुबंध करने का इरादा रखता है।
3.7.2	बैंक केवल चयनित बोलीदाता से आरएफआईडी टैग खरीदेगा। आरएफआईडी प्रिंटर, रीडर आदि जैसे अन्य हार्डवेयर को चयनित बोलीदाता द्वारा प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी।
3.7.3	आरएफआईडी टैग में रीराइटेबल मेमोरी होनी चाहिए और न्यूनतम 12 अल्फान्यमेरिक वर्णों को संग्रहीत करने में सक्षम होना चाहिए।
3.7.4	विक्रेता की निर्धारित उपस्थिती का निर्णय बैंक विक्रेता के साथ चर्चा द्वारा आपसी सहमति से किया जाएगा। बैंक विक्रेता द्वारा बैंक को सूचित योजना के अनुसार कार्य को पूरा करने में आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
3.7.5	आरएफआईडी टैग्स का विन्यास इस तरह से किया जाना चाहिए कि बाजार में उपलब्ध कोई भी रीडर/स्कैनर इन आरएफआईडी टैगों के एन्कोडेड विवरण का पता लगाने में सक्षम हो। इस शर्त के अनुपालन पर पुष्टि विक्रेता द्वारा उनके लेटरहेड पर प्रस्तुत की जानी चाहिए जैसा कि <u>अनुलग्नक बी</u> में निर्दिष्ट है। इसे अचल संपत्तियों की प्रारंभिक आरएफआईडी टैगिंग और रीकंसिलेशन पूरा करने के बाद जमा करने की आवश्यकता है।
3.7.6	कृपया ध्यान दें कि रीडर/स्कैनर स्कैन किए गए डेटा को टेक्स्ट प्रारूप में संग्रहीत करेंगे और इसे एक्सेल/सीएसवी में डेटा प्रकार के साथ 'सामान्य' के रूप में निर्यात करेंगे न की 'टेक्स्ट ' के रूप में।
3.7.7	किसी भी आरएफआईडी टैग की खराबी के मामले में उनके निर्दिष्ट जीवन चक्र के अंत से पहले /वारंटी अवधि, विक्रेता उसे बिना किसी लागत के बदल देगा।

3.7.8	<p>बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रीडर/स्कैनर मौजूदा आरएफआईडी टैग से स्कैन किए गए डेटा को पढ़ने में सक्षम होंगे जो वर्तमान इन्वेंट्री से जुड़े हैं। बोलीदाता परिसमापन क्षति के लिए उत्तरदायी होगा यदि बोलीदाता ऐसे हार्डवेयर को लागू करता है जो वर्तमान सूची से जुड़े मौजूदा RFID टैग में संग्रहीत डेटा को पढ़ने में असमर्थ है।</p>
3.8	<p>सुरक्षा जमा और प्रदर्शन बैंक गारंटी (PBG):</p> <p>सफल बोलीदाता एनईएफटी के माध्यम से अनुबंध मूल्य के 20% की राशि को खाता संख्या - 186003001 आईएफएससी कोड- RBIS0DNPA01 (5 वें और 10 वें अंक शून्य हैं) खाता नाम- भारतीय रिजर्व बैंक को भेजेगा, जब बोलीदाता को कार्य सौंपा जाता है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सफल बोलीदाता को संविदा के निष्पादन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए संविदा मूल्य* के 20% की राशि के लिए निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करनी होती है। पीबीजी का प्रारूप खंड V में देखा जा सकता है। 2. सुरक्षा जमा राशि के बराबर प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करने पर सफल बोलीदाता को सुरक्षा जमा राशि वापस कर दी जाएगी। 3. यदि सफल बोलीदाता द्वारा कोई प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रदान नहीं की जाती है, तो बोली लगाने वाले द्वारा अनुबंध के निष्पादन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के बाद ही सुरक्षा जमा राशि वापस की जाएगी। 4. यदि प्रणाली का निष्पादन सही नहीं है और अनुबंध अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की संतुष्टि के अनुरूप नहीं है, तो चूक के लिए समाप्ति के खंड 3.6 के आधार पर निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) या सुरक्षा जमा जब्त की जा सकती है। <p>पीबीजी भारतीय रिजर्व बैंक की संतुष्टि पर बोलीदाता द्वारा अनुबंध के निष्पादन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के बाद रिलीज़ किया जाएगा।</p> <p>* अनुबंध मूल्य: मूल्य बोली में उद्धृत राशि कुल योग (ए + बी) (बैंक द्वारा जारी अलग भाग 2) यानी हार्डवेयर आवश्यकता (ए), और अर्ध-वार्षिक रीकंसिलेशन सेवाओं (बी) के लिए उद्धृत राशि का योग।</p>
3.9	<p>वार्षिक रखरखाव शुल्क (एएमसी): डेस्टॉक वस्तुओं का समाधान और प्रदान की गई सेवा</p>
<p>बैंक अगले दो वित्तीय वर्षों के लिए विक्रेता के साथ एएमसी में प्रवेश कर सकता है (21 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक प्रारंभिक अनुबंध अवधि के सफल समापन के बाद)। एएमसी के लिए मूल्य का संयोजन होगा</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अर्ध-वार्षिक रीकंसिलेशन सेवाओं के लिए फॉर्मूला नीचे दिए गए फॉर्मूले के आधार पर तैयार किया गया है जो मूल्य बोली के खंड बी में उद्धृत कीमतों पर आधारित होगा 2. मूल्य बोली के खंड क में उद्धृत मूल्यों के आधार पर आरएफआईडी टैग की लागत में वृद्धि, जिसकी मात्रा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाएगी। <p>अर्ध-वार्षिक रीकंसिलेशन सेवाओं के लिए नवीनीकरण सूत्र = $Ac = Ap \times (CPIc/CPIp)$</p> <p>जहां:</p> <p>$Ac$ = वर्तमान अवधि के लिए अर्ध-वार्षिक रीकंसिलेशन सेवाओं के लिए शुल्क,</p>	

Ap = पिछली अवधि के लिए अर्ध-वार्षिक रीकंसिलेशन सेवाओं के लिए शुल्क और मूल्य बोली के खंड बी में उद्धृत कीमतों के आधार पर,

सीपीसी = औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत) वर्तमान अवधि के लिए नवीनीकृत अनुबंध की शुरुआत की तारीख से 6 महीने पहले,

सीपीआईपी = औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत) पिछली अवधि के लिए अनुबंध की शुरुआत की तारीख से 6 महीने पहले।

एएमसी के दो वर्षों की अवधि के दौरान, आरएफआईडी टैग की लागत का भुगतान मूल्य बोली के खंड ए में उद्धृत कीमतों पर 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ किया जाएगा। भुगतान के लिए मूल खरीद बिल प्रस्तुत करना होगा। बैंक विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दरों को सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। विक्रेता को एएमसी अवधि के दो साल के लिए वैध एएमसी शुल्क के 20% के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। एएमसी की अवधि को बैंक और विक्रेता के बीच ऊपर बताए गए फॉर्मूले के अनुसार संशोधित दरों पर आपसी समझौते द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

स्थान: (स्टाम्प के साथ बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर)

दिनांक: (नाम)

4	<p>बैंक की आवश्यकता/विनिर्देश/कार्य का दायरा:</p> <p>विक्रेता को भारतीय रिजर्व बैंक देहरादून के स्थानों के लिए बोली और उसके बाद अनुबंध चरण के दौरान अंतिम रूप दिए गए आरएफआईडी टैग की संख्या की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए; और टैग फिक्सिंग और भौतिक सत्यापन और रीकंसिलेशन अभ्यासों (सेवा स्तर के समझौतों के अनुसार) को समय पर पूरा करना होगा।</p> <p>विक्रेताओं को आरएफआईडी टैग की जाने वाली परिसंपत्तियों के प्रकार और टैग की गुणवत्ता की आवश्यकता के बारे में खुद को परिचित करने के लिए अपना कोटेशन जमा करने से पहले नियोजित तिथियों पर बैंक के परिसर (देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय, मसूरी में हॉलिडे होम, देहरादून में विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट, देहरादून में सिंगल रुम एकोमोडेशन और देहरादून में वरिष्ठ अधिकारियों के फ्लैट) का दौरा करना होगा। बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस आरएफक्यू दस्तावेज़ के अंत में अनुलग्नक डी में सेवाओं के उपरोक्त सेट के लिए प्रक्रियाओं और जिम्मेदारियों पर विस्तृत विवरण देखें।</p>
4.1	<p>सेवा योग्य स्थान</p> <p>विक्रेता को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय के निम्नलिखित स्थानों पर आरएफआईडी टैग और भौतिक सत्यापन और रीकंसिलेशन अभ्यास (सेवा स्तर समझौते के अनुसार) की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आरबीआई मुख्य कार्यालय भवन, प्लॉट नंबर 16-17 आईटी पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून 248013 2. आरबीआई हॉलिडे होम, कैमल बैंक रोड, मसूरी 3. विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स, दून ट्राफलगर, धोरन रोड, देहरादून 4. सिंगल रुम आवास, दून ट्राफलगर एक्सटेंशन, 3०५ धोरन रोड, देहरादून नोट- बैंक सेवा योग्य स्थानों को जोड़ने/हटाने/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4.2	<p>दायरे में सेवाएं:</p> <p>बोलीदाता को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करनी होगी-</p> <ol style="list-style-type: none"> परिसंपत्तियों के लिए नए आरएफआईडी टैग की आपूर्ति और इन्वेंट्री पर टैग को ठीक करना, टैग के लिए अनुरोध करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। यदि टैग के लिए अनुरोध करने की तारीख निर्धारित करने में कोई मतभेद है, तो इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा और बोलीदाता/विक्रेता के लिए बाध्यकारी होगा। पुराने/क्षतिग्रस्त/अनुपलब्ध/अप्राप्य/अपठनीय आदि आरएफआईडी टैग, यदि कोई हो, को बदलने का कार्य ऐसे टैग के लिए अनुरोध करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। यदि टैग के लिए अनुरोध करने की तारीख निर्धारित करने में कोई मतभेद है, तो इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा और बोलीदाता/विक्रेता के लिए बाध्यकारी होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय के स्थानों में स्थापित और उपलब्ध सभी अचल संपत्तियों और डेड स्टॉक वस्तुओं का भौतिक सत्यापन जैसा कि खंड 4.1 (स्कैनर की सहायता से) में उल्लिखित है और छमाही (30 जून और 31 दिसंबर को समाप्त) के आधार पर सिस्टम डेटा (एसेट मास्टर लिस्ट) के साथ उसका मिलान (31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष से शुरू)। इस अभ्यास के पूरा होने के बाद विक्रेता द्वारा बैंक के साथ एक रीकंसिलेशन रिपोर्ट और प्रमाण पत्र साझा किया जाएगा। बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस आरएफक्यू दस्तावेज़ के अंत में अनुलग्नक डी में सेवाओं के उपरोक्त सेट के लिए प्रक्रियाओं और जिम्मेदारियों पर विस्तृत विवरण देखें।
4.3	<p>समावेशन और बहिष्करण:</p> <p>समावेशन- बैंक चयनित बोलीदाता से परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी प्रकार के आरएफआईडी टैग खरीदेगा।</p> <p>बहिष्करण- बैंक आरएफआईडी रीडर, प्रिंटर आदि जैसे किसी भी हार्डवेयर की खरीद नहीं करेगा। विक्रेताओं को संबंधित सेवाओं की डिलीवरी के लिए इन उपकरणों का प्रबंधन करना होगा।</p>
4.4	<p>लागू सेवा स्तर समझौता (SLA):</p> <ol style="list-style-type: none"> आरएफआईडी टैग को जोड़ने/बदलने का काम टैग के लिए अनुरोध करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। सभी अचल संपत्तियों और डेड स्टॉक वस्तुओं के लिए भौतिक सत्यापन और रीकंसिलेशन अभ्यास की योजना हर छह महीने में (यानी वर्ष में दो बार) की जाती है। 30 जून को समाप्त होने वाली छमाही और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली छमाही तक उपलब्ध परिसंपत्तियों के लिए, भौतिक सत्यापन और रीकंसिलेशन प्रक्रिया संबंधित छमाही की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

4.4

परिसमापन क्षति/जुर्माना:

- परिसंपत्तियों के लिए नए और प्रतिस्थापन आरएफआईडी टैग की आपूर्ति में देरी और टैग के लिए अनुरोध करने की तारीख से 15 दिनों से अधिक इन्वेंट्री पर टैग लगाने पर प्रति दिन ₹100/- (एक सौ रुपये मात्र) की राशि का जुर्माना लगेगा और फर्म के बिल से काट लिया जाएगा।
- सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी (दोषपूर्ण टैग की आपूर्ति, भौतिक सत्यापन और रीकंसिलेशन अभ्यास आदि को पूरा करने में देरी सहित और इन्हीं तक सीमित नहीं है) पर प्रति दृष्ट्या 1000/- रुपये (एक हजार रुपये मात्र) की राशि का जुर्माना लगेगा और फर्म के बिल से काट लिया जाएगा।
यदि परिसमापन क्षति/दंड के प्रकार का निर्धारण करने में कोई मतभेद है, तो इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम और विक्रेता के लिए बाध्यकारी होगा। बैंक बोलीदाता द्वारा बैंक को दी गई सुरक्षा जमा/निष्पादन बैंक गारंटी को जब्त करने/लागू करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
कृपया ध्यान दें कि ऊपर उल्लिखित प्रत्येक प्रकार की कमी को अलग/व्यष्टि उदाहरण के रूप में गिना जाएगा।

स्टाम्प/तिथि के साथ बोलीदाता के हस्ताक्षर

भाग V: प्रदर्शन बैंक गारंटी के प्रोफार्मा के लिए प्रारूप

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक,

भारतीय रिजर्व

बैंक

प्लॉट नंबर 16-

17, आईटी पार्क,

सहस्रधारा रोड,

देहरादून

248013

प्रिय महोदय/महोदया

आपके द्वारा M/s. _____ (जिसे इसके बाद "ठेकेदार" कहा जाएगा) द्वारा आपको दिए गए INR (केवल _____ रुपर) के प्रदर्शन प्रतिभूति जमा को स्वीकार करने की सहमति के बदले में, जो कि आपके साथ "भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के लिए RFID आधारित फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन" के कॉन्ट्रैक्ट के तहत, उनके RFQ दिनांक _____ और आपके विशिष्ट अनुबंध की शर्तें और उससे संबंधित अन्य RFQ दस्तावेज़ के अनुसार हैं, और आपके अनुबंध दिनांक _____ में निर्धारित या संदर्भित शर्तों और आपसी सहमति से किए गए बदलावों के अधीन, हमारे द्वारा गारंटी के रूप में, जैसा कि इसमें आगे बताया गया है, हम _____ (बैंक का नाम) इसके द्वारा आपके साथ निम्नलिखित करार और सहमति करते हैं:

1. हम आपको समय-समय पर INR _____ (केवल _____ रुपए) तक किसी भी नुकसान या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति देने और सुरक्षित रखने का वचन देते हैं, जो ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध में बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन करने के कारण आपको हो सकती है या हुई है, और यदि ठेकेदार उक्त अनुबंध के तहत कोई भी काम करने में या उससे संबंधित किसी भी शर्त का पालन करने और उसे पूरा करने में कोई चूक करता है, तो हम मांग करने पर तुरंत आपको वह राशि या राशियाँ देंगे, जो कुल मिलाकर उक्त INR _____ (केवल _____ रुपए) से अधिक नहीं होगी, जिसे आप ठेकेदार की ऐसी चूक के कारण अपने नुकसान और/या क्षति, लागत, शुल्क या खर्च के रूप में दावा कर सकते हैं।

2. इसके विपरीत किसी भी बात के बावजूद, ठेकेदार द्वारा कोई ऐसी चूक की गई है या नहीं और आप इसके कारण कितनी रकम के हकदार हैं, इस बारे में आपका फैसला हम पर बाध्यकारी होगा और हम आपसे इस गारंटी के तहत अपने दावे या दावों को साबित करने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि आपकी मांग पर बिना किसी विरोध या आपत्ति के तुरंत भुगतान करेंगे।

3. यह गारंटी तब तक जारी रहेगी और मान्य रहेगी जब तक आप इसे ठेकेदार के आवेदन पर, उक्त अनुबंध की संबंधित गारंटी अवधि समाप्त होने के बाद और ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध के तहत अपने सभी दायित्वों को रिजर्व बैंक की संतुष्टि के अनुसार पूरा करने और उक्त अनुबंध के तहत काम पूरा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और "कोई मांग नहीं प्रमाण पत्र" जमा करने के बाद रिलीज़ नहीं कर देते, बशर्ते कि यह गारंटी किसी भी स्थिति में _____ तारीख के बाद लागू नहीं रहेगी, आपके उन दावों या मांगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उक्त तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले हमसे लिखित रूप में उत्पन्न हुए हैं और मांगे गए हैं या अन्यथा हमें सूचित किए गए हैं, जो हमारे खिलाफ लागू होंगे, भले ही उन्हें उक्त तारीख के बाद लागू किया गया हो।
4. यदि किसी भी कारण से इस गारंटी को बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो हम आपके अनुरोध पर इस गारंटी की अवधि तब तक बढ़ाने का वचन देते हैं जब तक आपको आवश्यकता हो। इस संबंध में आपका निर्णय अंतिम और हम पर बाध्यकारी होगा।
5. आपको इस गारंटी को प्रभावित किए बिना, समय-समय पर उक्त अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों को बदलने या ठेकेदार के प्रदर्शन का समय बढ़ाने या ठेकेदार के खिलाफ अपने किसी भी अधिकार या शक्तियों को किसी भी समय या समय-समय पर स्थगित करने और उक्त अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों को लागू करने या लागू न करने की पूरी स्वतंत्रता होगी और हम उपरोक्त मामलों के संबंध में आपकी स्वतंत्रता के प्रयोग से या ठेकेदार को दिए गए किसी भी समय या आपकी ओर से किसी अन्य छूट, कार्य या चूक से या ठेकेदार को आपके द्वारा दी गई किसी भी रियायत से या उक्त अनुबंध में किसी भी बदलाव या संशोधन से या किसी अन्य कार्य, मामले या चीजों से, जो जमानत से संबंधित कानून के तहत, यहां के प्रावधानों के बिना, हमें हमारी देनदारी से मुक्त करने का प्रभाव डालता, हमारी देनदारी से मुक्त नहीं होंगे, बशर्ते कि यहां निहित कोई भी बात हमारी देनदारी को उपरोक्त INR _____ (केवल _____ रुपए) की सीमा से आगे नहीं बढ़ाएगी।
6. यह गारंटी ठेकेदार या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी से कोई भी प्रतिभूति लेने या बदलने या छोड़ने से या ठेकेदार के परिसमाप्न, विघटन, दिवालियापन या मृत्यु, जैसा भी मामला हो, से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी।
7. इसमें दी गई गारंटी को पूरी तरह से लागू करने के लिए, आपको ऐसे सभी कार्य करने का अधिकार होगा जैसे कि हम ठेकेदार के खिलाफ आपके सभी दावों के संबंध में आपके मुख्य देनदार हों, जिनकी गारंटी हमारे द्वारा ऊपर बताई गई है, और हम इसके द्वारा अपने सभी ज़मानत के अधिकारों और अन्य अधिकारों, यदि कोई हो, को स्पष्ट रूप से छोड़ते हैं, जो इस गारंटी के किसी भी प्रावधान के साथ किसी भी तरह से असंगत हैं।
8. ऊपर बताई गई हमारी अधिकतम देयता की सीमा के अधीन, यह गारंटी उक्त अनुबंध

से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित ठेकेदार के खिलाफ आपके उन सभी दावों को कवर करेगी और जिसके संबंध में आपका लिखित दावा इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले हमें प्रस्तुत किया जाता है।

9. इसके तहत मांग या अन्यथा के रूप में कोई भी नोटिस ईमेल या विशेष कूरियर, टेलेक्स, फैक्स या पंजीकृत डाक द्वारा हमारे स्थानीय पते पर भेजा जा सकता है और यदि डाक द्वारा भेजा जाता है, तो इसे उसी समय दिया गया माना जाएगा जब इसे पोस्ट किया गया हो।
10. यह गारंटी और इसमें निहित शक्तियां और प्रावधान हमारे द्वारा आपको पहले दी गई किसी अन्य गारंटी या गारंटियों के अलावा हैं, न कि उनकी सीमा या प्रतिस्थापन के रूप में (चाहे दूसरों के साथ संयुक्त रूप से या अकेले) और जो अब रद्द नहीं हुई हैं और यह गारंटी ऐसी गारंटी या गारंटियों को रद्द करने या सीमित करने का इरादा नहीं रखती है और न ही समाप्त करेगी।
11. यह गारंटी ठेकेदार या हमारी संरचना में किसी भी बदलाव से प्रभावित नहीं होगी और न ही यह आपकी संरचना में किसी भी बदलाव या उसके किसी भी विलय या अवशोषण से प्रभावित होगी, बल्कि यह अवशोषित या विलय की गई कंपनी या संस्था के लाभ के लिए होगी और उसके द्वारा उपलब्ध और लागू करने योग्य होगी।
12. बैंक द्वारा उक्त अनुबंध/कोटेशन की किसी भी शर्त को लागू करने में कोई भी डिलाई, कार्य या चूक या बैंक द्वारा बोली लगाने वाले को कोई भी रियायत देने से ज़मानतदार किसी भी तरह से मुक्त नहीं होगा और इस गारंटी के तहत ज़मानतदार के दायित्व केवल तभी समाप्त होंगे जब बैंक द्वारा ज़मानतदार को इसकी सूचना दी जाएगी।
13. यह गारंटी इसकी अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय है और आपकी पिछली लिखित सहमति के बिना रद्द नहीं की जाएगी।
14. हम आगे सहमत हैं और आपसे लिखित रूप में मांगी गई राशि का भुगतान बिना किसी आपत्ति के करने का वचन देते हैं, भले ही आपके और ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई मतभेद या विवाद मौजूद हो या उत्पन्न हो।
15. उपर्युक्त किसी भी बात के बावजूद, इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी INR _____ (केवल _____ रुपए) तक सीमित है। जब तक इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से छह महीने के अंदर, जिसमें अगर कोई विस्तार भी शामिल है, यदि इस गारंटी के तहत भुगतान के लिए हमारे पास लिखित दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो इस गारंटी के तहत आपके सभी अधिकार खत्म हो जाएंगे और हमें इसके तहत सभी ज़िम्मेदारियों से मुक्त और बरी माना जाएगा, भले ही मूल गारंटी हमें वापस की गई हो या नहीं।
16. हमारे बैंक के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम के तहत हमें आपके पक्ष में यह गारंटी जारी करने का अधिकार है और नीचे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को बैंक द्वारा दी गई

पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत इस गारंटी को लागू करने का पूरा अधिकार है।

हस्ताक्षरित और वितरित

(ऊपर बताए गए बैंक की ओर से)

(बैंकर का नाम और मुहर) की ओर से

शाखा प्रबन्धक

(बैंकर की मुहर)

पता

भाग VI: मात्रा के अमूल्य बिल के लिए प्रारूप

क्रम सं.	ब्योरा	अनुमानित मात्रा
ए - हार्डवेयर आवश्यकता (निम्नलिखित आरएफआईडी टैग की आपूर्ति):		
1.	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए आरएफआईडी टैग	148
2	गैर-इलेक्ट्रॉनिक धातु वस्तुओं के लिए आरएफआईडी टैग	20
3	गैर-इलेक्ट्रॉनिक गैर-धातु वस्तुओं के लिए आरएफआईडी टैग	20
बी- आरएफआईडी टैग और अर्ध-वार्षिक रीकन्सिलीऐशन सुलह सेवाओं का अर्ध-वार्षिक जोड़/प्रतिस्थापन (1 वर्ष की अवधि के लिए):		
1.	अर्ध-वार्षिक रीकन्सिलीऐशन के लिए शुल्क (जून और दिसंबर को समाप्त होने वाली 6 महीने की अवधि)	2 अर्ध-वार्षिक

भाग VII: बोलीदाताओं का विवरण

1. फर्म का विवरण:

क्र. सं.	ब्योरा	बोलीदाता द्वारा भरा जाना है
1	फर्म का नाम	
2	फर्म की संरचना (चाहे साइडेनारी/स्वामित्व/सार्वजनिक लिमिटेड)	
3	फर्म का पैन	
4	फर्म के मालिक/भागीदारों/निदेशकों के नाम	
5		
6	समर्थित दस्तावेजों के साथ टिन और जीएसटी विवरण	
7	फर्म का पता	
	दूरभाष	
	ईमेल	
	फैक्स	
8	कार्य अनुभव (वर्षों में)	
9	निकटतम सहायता केंद्र/कार्यालय उक्त निविदाकर्ता के लिए सेवाओं को पूरा करने के लिए सेवा व्यवस्था का विवरण।	

1. फर्म के बैंकरों का विवरण:

क्रम सं.	ब्योरा	बोलीदाता द्वारा भरा जाना है
1	बैंक का नाम	
2	बैंक का पता	
3	टेलीफोन और फैक्स	
4	संपर्क सूत्र	
5	बैंक से फर्म द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा	
6	वह अवधि जिससे फर्म बैंक के साथ बैंकिंग व्यवहार्य कर रही है	

अनुलग्नक ए: अपेक्षित हार्डवेयर के स्वामित्व के संबंध में वचनबद्धता (बोलीदाता के लेटरहेड पर)

दिनांक: _____

सेवा में

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक
प्लॉट नंबर 16-17, आईटी पार्क, सहस्रधारा
रोड, देहरादून 248013।

प्रिय महोदय/महोदया,

हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि हमारे संस्था के पास एफएमएस कार्य के तहत उल्लिखित सेवाओं के सफल निष्पादन के लिए सभी आवश्यक हार्डवेयर हैं। हम अनुबंध अवधि के दौरान परिसंपत्ति टैगिंग के लिए आवश्यक प्रकार और संख्या में आरएफआईडी टैग भी प्रदान करने में सक्षम रहेंगे। ।

कृपया आवश्यक हार्डवेयर का विवरण नीचे देखें -

	मात्रा	मेक	मॉडल	स्वामित्व (हां/नहीं)
आरएफआईडी रीडर				
आरएफआईडी प्रिंटर				

हम आश्वासन देते हैं कि हार्डवेयर से संबंधित किसी भी समस्या के कारण एफएमएस का काम प्रभावित नहीं होगा।

भवदीय,

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

नाम और पदनाम:

अनुलग्नक बी: आरएफआईडी टैग के लिए एन्कोडिंग पर पुष्टि
(बोलीदाता के लेटरहेड पर)

दिनांक: _____

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिजर्व बैंक
प्लॉट नंबर 16-17, आईटी पार्क, सहस्रधारा
रोड, देहरादून 248013

प्रिय महोदय,

हम एतदद्वारा आरएफक्यू के खंड 3.7.5 में उल्लिखित विशेष शर्त के अनुपालन की पुष्टि करते हैं। हमने आरएफआईडी टैग को इस तरह से कॉन्फिगर किया है कि बाजार में उपलब्ध कोई भी रीडर/स्कैनर इन आरएफआईडी टैग में सभी एन्कोडेड विवरणों का पता लगाने में सक्षम होगा। हम आरएफआईडी टैग के भविष्य में जोड़ने/बदलने से संबंधित आवश्यकताओं के लिए इसे सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

नाम और पदनाम:

अनुलग्नक सी: परिसंपत्तियों के प्रकार (सांकेतिक और गैर-संपूर्ण सूची)

- एसी
- एसी प्लांट
- एयर क्लीनर
- एयर कटर
- मुख्य द्वार का स्वचालन
- ब्लूटूथ स्पीकर
- बूम बैरियर
- बीएक्सटी मशीन
- कार
- सीसीटीवी सिस्टम
- सीसीटीवी सिस्टम चाइल्ड इन्वेटरी
- चंदेलियर
- चार्जर
- चार्जर (2 सिक्स यूनिट चार्जर)
- चिमनी
- कंप्यूटर उपकरण (पीसी, प्रिंटर, स्कैनर)
- कूलर
- कूलिंग टॉवर
- सीवीपीएस मशीन
- डीप फ्रीजर
- डीजी सेट
- दूरी मीटर
- डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर
- धूल अवशोषक
- विद्युत वितरक पैनल
- ईपीएबीएक्स
- EPABX LCS कार्ड
- एक्स्टर्नल हार्ड डिस्क
- फैन (पेडस्टल/वॉल फैन हैवी ड्रूटी)
- फैक्स मशीन
- फ्लाइंग इंसेक्ट कैचर
- फव्वारा (इलेक्ट्रिक)
- फ्रैकिंग मशीन
- जीबीएस फुल हाइट टर्नस्टाइल डुअल लेन
- गिजर
- गार्ड ट्रू सिस्टम पैड
- व्यायामशाला उपकरण (व्यायाम चक्र, क्रॉस ट्रेनर, ट्रेडमिल, जिम रॉड, फुट मसाजर, वेट स्टैंड)
- हैंड ड्रायर
- हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर
- हीट पिलर
- आईपैड

- इन्वर्टर
- किंडल पेपरब्हाइट
- रसोई के सामान (माइक्रोवेव, इंडक्शन, स्टोव, गैस, बर्नर, केतली, मिक्सर, ग्राइंडर, आदि)
- केवीए यूपीएस
- लैन सिस्टम
- लैपटॉप
- लेवलर
- लिफ्ट
- लाइट (लैंप/स्ट्रीट लाइट/ब्रास लैंप)
- माइक
- माइक्रोफोन
- मोबाइल फोन
- नोट बंडल पैकिंग मशीन
- नोट गिनती मशीन
- नोट वितरण मशीन
- नोट विनिमय मशीन
- नोट पंचिंग मशीन
- नोट छँटाई मशीन
- जैविक अपशिष्ट प्रबंधन
- पैकिंग और सीलिंग मशीन
- पेपर श्रेडर
- पेस्ट डिस्ट्रोयर मशीन
- फोटोकॉपी मशीन
- प्रोजेक्टर
- पंप सेट
- फ्रिज
- सेफ
- सैनिटाइज़र मशीन
- एसबीएस मशीन
- स्कूटर
- सुरक्षा अलार्म सिस्टम
- सीवीपीएस के लिए सेंसर
- सर्वर
- जूता पोलिस मशीन
- शूक रैपिंग मशीन
- सॉफ्टवेयर (एससीडी यूनिक्स एंटरप्राइज संस्करण)
- सौर ऊर्जा संयंत्र
- ध्वनि प्रणाली
- स्टेबलाइज़र (15 केवीए सर्वे स्टेबलाइज़र सीवीपीएस)
- स्ट्रीट लाइट इलेक्ट्रिक पोल
- दूरभाष
- टीवी (एलसीडी/एलईडी)
- सीवीपीएस मशीन का उन्नयन

- वैक्यूम क्लीनर
- वीडियो डोर फोन
- वॉयस रिकॉर्डर
- वॉकी टॉकी
- वॉशिंग मशीन
- वाटर कूलर
- वाटर डिस्पेन्सर
- वाटर पंप
- वाटर प्युरिफायर आरओ
- एक्स रे बैगेज स्कैनर
- बेड (आइरन)
- बैंच
- बोर्ड डिस्प्ले
- बुकशेल्फ
- ब्रेटिंग एपरेटस सेट
- बुलेट प्रूफ हेलमेट
- बुलेट प्रूफ जैकेट
- काउंटर
- अलमारी/अलमारी
- फायर एक्स्टंग्युशर
- व्यायामशाला उपकरण (व्यायाम चक्र, क्रॉस ट्रेनर, ट्रेडमिल, जिम रॉड, फुट मसाजर, वेट स्टैंड)
- की-बॉक्स
- लैडर
- लाइट (ब्रास लैंप)
- रोगी की मेज
- सेफ
- स्टैंड
- भंडारण इकाई (अलमारी, डिब्बे, दराज, फाइलिंग कैबिनेट, रैक)
- स्ट्रेचर
- टीटी टेबल
- ट्रॉली
- व्हीलचेयर
- वर्क-स्टेशन
- ऑल विदर फर्नीचर
- अराइव बैक यूनिट (गोदरेज)
- बेड (लकड़ी का)
- कुर्सी
- डाइनिंग सेट
- ड्रेसिंग टेबल
- डस्टबिन
- एलिफेंट शोपीस
- फव्वारा (संगमरमर)
- गद्दा

- नाइट विजन गूगल
- पैटिंग
- पार्टिशन
- पीजियनहोल
- पोडियम
- घड़ा
- परिसर
- जूता रैक
- शोकेस
- सोफा सह बिस्तर
- सोफा सेट
- स्टैच्यू
- टेबल
- दीवाल घड़ी

नोट: आरबीआई के पास अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपरोक्त वस्तुओं की सूची को बदलने का विवेकाधिकार है।

अनुलग्नक डी: दायरे में सेवाओं के लिए जिम्मेदारियां और डिलिवरेबल्स

विक्रेता बोली के दौरान अंतिम रूप से दिए गए आरएफआईडी टैग की संख्या और बाट में अनुबंध चरण के दौरान बैंक के अनुबंधित स्थान पर समय पर (ऊपर अंतिम रूप दिए गए कार्यक्रम के अनुसार) की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। विक्रेताओं को आरएफआईडी टैग की जाने वाली परिसंपत्तियों के प्रकार और टैग की गुणवत्ता की आवश्यकता के बारे में खुद को परिचित करने के लिए कोटेशन जमा करने से पहले नियोजित तिथियों पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा करना होगा। विक्रेता भागीदार के लिए जिम्मेदारियों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. नए एसेट टैग की आपूर्ति और/या पुराने टैग का प्रतिस्थापन

1.1 नए एसेट टैग की आपूर्ति और फिक्सिंग

- बैंक (संपदा अनुभाग/आईटी कक्ष) ई-मेल के माध्यम से विक्रेता को सूची/हस्तांतरित परिसंपत्तियों की सूची प्रदान करेगा। सूची में एसेट इन्वेंटरी नंबर, एसेट डिस्क्रिप्शन, एसेट लोकेशन और एसेट खरीद डेट आदि जैसे आवश्यक डेटा फ़ील्ड शामिल होंगे। उक्त सूची में प्रत्येक एसेट के लिए एसेट टैग प्रकार का भी उल्लेख किया जाएगा।
- विक्रेता को उपर्युक्त सूची में निर्दिष्ट विवरण के अनुसार परिसंपत्ति टैग बनाने और प्रिंट करने की आवश्यकता होगी और बैंक (एस्टेट सेल/आईटी सेल) द्वारा ई-मेल के माध्यम से अनुरोध करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर बैंक को इसकी आपूर्ति करनी होगी। इसके अलावा, एसेट टैग में एम्बेडेड आरएफआईडी चिप हमेशा उपर्युक्त सभी सूचनाओं को संग्रहीत/एन्कोड करेगी। आरएफआईडी टैग का विन्यास ऐसा होगा कि बाजार में उपलब्ध कोई भी रीडर/स्कैनर इन आरएफआईडी टैग के एन्कोडेड विवरण का पता लगाने में सक्षम हो। इसके अनुपालन के लिए विक्रेता द्वारा एक पुष्टिकरण प्रस्तुत किया जाएगा। रीडर/स्कैनर स्कैन किए गए डेटा को टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर करेंगे और इसे एक्सेल/सीएसवी में डेटा टाइप के साथ 'सामान्य' के रूप में एक्सेल/सीएसवी में एक्सपोर्ट करेंगे, न कि 'टेक्स्ट' के रूप में।
- बैंक विक्रेता द्वारा आपूर्ति किए गए टैग की पूर्ण/यादचिक जांच करेगा। यदि, जांच पर, टैग पाए जाते हैं कि वे
- ठीक हैं, तो विक्रेता को इन आरएफआईडी टैग को संबंधित परिसंपत्तियों पर चिपकाने की आवश्यकता होगी। विक्रेता को इन आरएफआईडी टैग को चिपकाते समय परिसंपत्ति की प्लेसमेंट, स्थिति और सतह को विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरएफआईडी

रीडर/स्कैनर भौतिक सत्यापन और सुलह अभ्यास के दौरान बिना किसी समस्या के इन टैगों को स्कैन करने में सक्षम होंगे। 'ओके' पाए गए टैग की लागत का भुगतान विक्रेता को बिल जमा करने पर किया जाएगा, लागू करों की कटौती के बाद, यदि कोई हो।

- किसी भी कारण से 'ठीक नहीं है' (मुद्रण त्रुटि सहित और इन्हीं तक सीमित नहीं; टैग की गुणवत्ता निशान तक नहीं; कम चिपकने वाली क्षमता आदि), तो विक्रेता को बिना किसी देरी के/जल्द से जल्द सही ढंग से गढ़े / मुद्रित टैग की आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी। 'ठीक नहीं है' टैग विक्रेता के प्रतिनिधि द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर वापस ले लिया जाएगा। इसके बाद विक्रेता के प्रतिनिधि द्वारा संबंधित परिसंपत्तियों पर सही ढंग से गढ़े गए/मुद्रित टैग को चिपकाना होगा।
- बैंक (संपदा कक्ष/आईटी कक्ष) द्वारा अनुरोध करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर फिक्सिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें विफल रहने पर जुर्माना (जैसा कि खंड में निर्दिष्ट किया गया है) इस RFQ दस्तावेज़ के 1.2(G) को 'एसेट टैग गतिविधि की आपूर्ति और फिक्सिंग' से संबंधित विक्रेता के चालान से काटा जाएगा।

1.2 एसेट टैग का प्रतिस्थापन

- बैंक (यदि आवश्यक हो, तो स्वतः संज्ञान आधार पर) विक्रेता को ई-मेल के माध्यम से उन परिसंपत्ति टैग की सूची प्रदान कर सकता है जो पुराने हो गए हैं/क्षतिग्रस्त हो गए हैं/अनुपलब्ध हैं/स्थान पर अनुपलब्ध हैं/अपठनीय हैं, आदि और विक्रेता को बैंक (एसेट सेल/आईटी सेल) द्वारा ईमेल के माध्यम से अनुरोध करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर ऐसे टैग को बदलना होगा। सूची में एसेट इन्वेंटरी नंबर, एसेट डिस्क्रिप्शन, एसेट लोकेशन और एसेट खरीद डेट आदि जैसे आवश्यक डेटा फ़ील्ड शामिल होंगे। उक्त सूची में प्रत्येक एसेट के लिए एसेट टैग प्रकार का भी उल्लेख किया जाएगा।
- ऊपर उल्लिखित सूची के अलावा, विक्रेता को रिकॉर्डिंग इशन प्रक्रिया के दौरान पुराने/क्षतिग्रस्त/अनुपलब्ध/अस्पष्ट/अस्पष्ट/स्कैन न करने योग्य टैग की पहचान करने और उन्हें नए टैग से बदलने की आवश्यकता होगी।
- यदि स्कैनिंग प्रक्रिया के दौरान यह पाया जाता है कि टैग स्कैन करने योग्य नहीं हैं, तो विक्रेता बैंक को बिना किसी लागत के तुरंत बदल देगा।
- विक्रेता बदले गए आरएफआईडी टैग के प्रकार और गणना पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

2 अचल आस्तियों और जड़-वस्तुओं का भौतिक सत्यापन और नवीनतम परिसंपत्ति मास्टर (सिस्टम)

सूची (अर्ध-वार्षिक गतिविधि) के साथ उनका मिलान

- भौतिक सत्यापन और रेकन्सिलीऐशन गतिविधि से पहले, विक्रेता को उपरोक्त उप-खंड 1.1 और 1.2 में उल्लिखित गतिविधियों को पूरा करना चाहिए।
- भौतिक सत्यापन और रेकन्सिलीऐशन गतिविधि हर छह महीने में यानी साल में दो बार की जानी है। 30 जून को उपलब्ध परिसंपत्तियों के लिए, यह अभ्यास 31 जुलाई तक समाप्त हो जाएगा, और 31 दिसंबर को उपलब्ध संपत्ति के लिए, यह 31 जनवरी तक समाप्त हो जाएगा। उल्लिखित समय-सीमा का पालन न करने की स्थिति में, जुर्माना (जैसा कि इस आरएफक्यू दस्तावेज के खंड 1.2 (जी) में निर्दिष्ट है) को 'अर्धवार्षिक भौतिक सत्यापन और रेकन्सिलीऐशन अभ्यास' से संबंधित विक्रेता के चालान से काट लिया जाएगा।
- बैंक, संबंधित छमाही के अंत में, विक्रेता को एक ई-मेल भेजेगा, जिसमें भौतिक सत्यापन और सुलह अभ्यास से संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए समय-सीमा का विवरण होगा। विक्रेता निर्दिष्ट समय सीमा का पालन करते हुए इस अभ्यास के लिए प्रतिनिधियों की एक टीम की प्रतिनियुक्ति करेगा। कार्यालय भवन में विभिन्न स्थानों पर स्थापित सभी अचल संपत्तियों और जड़-वस्तुओं के लिए डेटा आरएफआईडी रीडर/स्कैनर के माध्यम से कैप्चर किया जाएगा और एकसेल प्रारूप में निर्यात किया जाएगा। उसके बाद, बैंक द्वारा साझा की गई नवीनतम परिसंपत्ति मास्टर (सिस्टम) सूची के साथ विस्तृत समाधान किया जाना चाहिए।

विक्रेता भागीदार के लिए जिम्मेदारियों का विवरण नीचे दिए गए उपरोक्तों में दिया गया है:

2.1 परिसंपत्तियों की स्कैनिंग (भौतिक सत्यापन)

विक्रेता को आरएफआईडी रीडर/स्कैनर की मदद से कार्यालय भवन में सभी स्थानों पर स्थापित सभी अचल संपत्तियों और डेड स्टॉक वस्तुओं को स्कैन करना होगा। बैंक द्वारा आवंटित समय सीमा/समय-सीमा। बैंक, यदि आवश्यक हो, तो किसी भी क्षेत्र/केबिन/कमरों तक पहुंचने में समस्याओं के मामले में विक्रेता प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन करने के लिए विभिन्न प्रभागों के लिए समन्वयकों की प्रतिनियुक्ति कर सकता है।

2.2 बैंक के पास उपलब्ध नवीनतम परिसंपत्ति मास्टर (सिस्टम) सूची (संबंधित छमाही के अंत में) के साथ स्कैन किए गए डेटा का मिलान

- विक्रेता को सभी विभागों के लिए स्कैन किए गए डेटा को निकालने की आवश्यकता होगी और एकसेल शीट प्रारूप में इसे बैंक द्वारा निर्दिष्ट एक या अधिक वर्कस्टेशन में सम्पदा विभाग, 1 मंजिल, आरबीआई

मुख्य कार्यालय भवन, देहरादून में स्थानांतरित करें। डेटा निष्कर्षण और स्थानांतरण गतिविधि दैनिक आधार पर की जाएगी, अर्थात्, किसी विशेष दिन के लिए स्कैनिंग गतिविधि पूरी होने के बाद।

- विक्रेता को बैंक द्वारा प्रदान की गई नवीनतम परिसंपत्ति मास्टर सूची के साथ पूरे स्कैन किए गए डेटा का मिलान करना होगा।
- एक्सेल में Vlookup फ़ंक्शन का उपयोग विसंगतियों, यदि कोई हो, को खोजने के लिए इन्वेंटरी नंबर डेटा फ़ील्ड से मेल खाने की सलाह दी जाती है। यह सलाह दी जाती है कि रेकन्सिलीऐशन समेकित संपूर्ण स्कैन किए गए डेटा को एक बार में एसेट मास्टर (सिस्टम) सूची के साथ किया जाना चाहिए।

2.3 रेकन्सिलीऐशन के दौरान देखी गई विसंगतियों की रिपोर्टिंग

विक्रेता बैंक की ओर से समन्वयकों के साथ संयुक्त रूप से इस अभ्यास का संचालन करेगा। इसका उद्देश्य विसंगतियों का विश्लेषण करना और ऐसी विसंगतियों के कारणों को क्रॉस-वेरिफाई करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना है। इस क्रॉस-वेरिफिकेशन के बाद, विसंगतियों की रिपोर्ट की जा सकती है। इस विश्लेषण और बाद में क्रॉस सत्यापन के लिए कुछ संकेत नीचे दिए गए हैं:

परिदृश्य 1:

परिसंपत्ति मास्टर सूची में मौजूद लेकिन स्कैन किए गए डेटा में कैप्चर नहीं किए गए एसेट (इन्वेंट्री नंबर के लिए स्कैन किया गया डेटा का मेल नहीं खाना)

- बैंक की ओर से समन्वयकों की मदद से ऐसी सभी परिसंपत्तियों का भौतिक रूप से सत्यापन करें।
- जांचें कि क्या इनमें से किसी भी संपत्ति को पहले टैग नहीं किया गया है। यह भी जांचें कि क्या इनमें से किसी भी संपत्ति में क्षतिग्रस्त/स्कैन न करने योग्य आरएफआईडी टैग हैं।
- बैंक समन्वयकों की मदद से जांच करें कि क्या इनमें से कोई भी संपत्ति अन्य कार्यालय स्थान पर स्थानांतरित की गई है, लेकिन सीबीएस/एक्सेल में स्वीकृत/अद्यतन नहीं की गई है।
- जाँच करें कि क्या इनमें से किसी भी संपत्ति के लिए डेटा आरएफआईडी रीडर के साथ समस्याओं के कारण स्कैनिंग गतिविधि के दौरान कैप्चर नहीं किया गया था। कृपया रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए इस गणना पर ध्यान दें। यदि हाँ, तो ऐसी संपत्तियों को फिर से स्कैन करें और RFID रीडर से निकाले गए एक्सेल डेटा में संबंधित रिकॉर्ड शामिल करें। रेकन्सिलीऐशन के दौरान देखी गई संबंधित विसंगतियों को ठीक करें।
- बैंक की टीम से संपर्क करें कि क्या इनमें से कोई भी संपत्ति खो जाने की सूचना है।
- देखी गई विसंगतियों के कारणों का विश्लेषण करें और रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित को चिन्हित करें :
- किसी स्थान पर अनुपलब्ध संपत्ति.

- बिना आरएफआईडी टैग वाली संपत्ति।
- क्षतिग्रस्त आरएफआईडी टैग वाली संपत्ति।
- सीबीएस/एक्सेल में स्वीकृति/अपडेट के बिना अन्य कार्यालय स्थान पर हस्तांतरित संपत्ति।
- खोई हुई संपत्ति।
- पहले स्कैन के दौरान कैचर नहीं की गई संपत्ति।

परिवर्त्य 2:

स्कैन किए गए डेटा में मौजूद एसेट लेकिन एसेट मास्टर सूची में नहीं
(इन्वैट्री नंबर के लिए एसेट मास्टर डेटा का मेल नहीं खाना)

- जांचें कि क्या इनमें से कोई भी संपत्ति सिस्टम में मौजूद है, लेकिन अन्य कार्यालय स्थान (स्थानों) के लिए चिह्नित है, अर्थात्, यदि इनमें से किसी भी संपत्ति के लिए स्थानांतरण अन्य कार्यालय स्थान द्वारा सीबीएस/एक्सेल में स्वीकार किया गया था/अपडेट किया गया था, लेकिन भौतिक हस्तांतरण अभी तक नहीं हुआ है।
- जांचें कि क्या इनमें से किसी भी संपत्ति को निपटान के लिए बट्टे खाते में डाल दिया गया है / चिह्नित किया गया है और बाद में सीबीएस/एक्सेल डेटा से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी कार्यालय स्थान में भौतिक रूप से मौजूद है।
- देखी गई विसंगतियों के कारणों का विश्लेषण करें और रिपोर्टिंग उद्देश्यों निम्नलिखित को चिन्हित करें :
- अन्य कार्यालय स्थान द्वारा सीबीएस / एक्सेल में हस्तांतरण के लिए स्वीकार / अद्यतन की गई संपत्ति लेकिन अभी भी पुराने कार्यालय स्थान में भौतिक रूप से मौजूद है।
- सीबीएस/एक्सेल में निपटान के लिए बट्टे खाते में डाली गई / चिह्नित संपत्ति लेकिन अभी भी कार्यालय स्थान में भौतिक रूप से मौजूद है।

2.4 रेकन्सिलीऐशन रिपोर्ट और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

विक्रेता को संबंधित छमाही के अंत में भौतिक सत्यापन और रेकन्सिलीऐशन के सफल समापन पर संबंधित छमाही की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर अचल आस्तियों और जड़ वस्तुओं की जांच संबंधी विस्तृत रेकन्सिलीऐशन रिपोर्ट और प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

अनुलग्नक ई: शिकायत प्रगति मैट्रिक्स

क्र म सं ख्या	समर्थन स्तर	नाम	फोन नंबर	ई-मेल आईडी
1	स्तर 1			
2	स्तर 2			
3	स्तर 3			
4	स्तर 4			

फर्म के हस्ताक्षर और मुहर

भाग VIII: आर्टिकल ऑफ असोशिएशन के लिए सांकेतिक प्रारूप

(उत्तराखण्ड राज्य में लागू कानून के अनुसार स्टाम्प पेपर पर)

यह करारनामा _____ की _____ तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून जिसका केन्द्रीय कार्यालय मुंबई में है (इसके बाद इसे "नियोक्ता" या "बैंक" कहा जाएगा) एक पक्षकार और _____ (इसके बाद इसे "बोलीदाता" कहा जाएगा) दूसरे पक्षकार के बीच निष्पादित किया गया।

जबकि नियोक्ता भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय में भारतीय रिजर्व बैंक के लिए आरएफआईडी आधारित परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली/समाधान को लागू करने के लिए इच्छुक है।

और जबकि बोलीदाता यहां निर्धारित शर्तों के अधीन कार्य निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है, आरएफक्यू में और अनुबंध की मात्रा और शर्तों की अनुसूची में संशोधित और अंत में दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तों" कहा गया है) बैंक की उक्त आवश्यकता पर दिखाए गए कार्य और/या उक्त विनिर्देशों में वर्णित और मात्रा की अनुसूची में शामिल हैं उसमें निर्धारित संबंधित दरों पर, उस राशि के रूप में प्राप्त राशि या ऐसी अन्य राशि जो उसके तहत देय हो जाएगी (इसके बाद "उक्त अनुबंध राशि" के रूप में संदर्भित)।

अब एतद्वारा निम्नलिखित रूप में सहमति व्यक्त की जाती है:

1	यह अनुबंध भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय के लिए आरएफआईडी प्रौद्योगिकी आधारित फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन (एफएएमएस) के कार्यान्वयन के लिए है।
2	बोलीदाता निम्नलिखित कीमतों पर आरएफआईडी टैग की आपूर्ति करने के लिए सहमत है: इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए आरएफआईडी टैग- ₹ प्रति टैग गैर-इलेक्ट्रॉनिक धातु वस्तुओं के लिए आरएफआईडी टैग- ₹ प्रति टैग गैर-इलेक्ट्रॉनिक गैर-धातु वस्तुओं के लिए आरएफआईडी टैग- ₹ प्रति टैग और टैग के लिए अनुरोध करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर संपत्ति पर टैग चिपका दें। यदि टैग के लिए अनुरोध करने की तारीख निर्धारित करने में कोई मतभेद है, तो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय अंतिम और आपूर्तिकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा।

3	उक्त शर्तों में निर्धारित समय पर और जिस तरीके से भुगतान किया जाना है, उस पर विचार करते हुए, बोलीदाता उक्त शर्तों के आधार पर और उनके अधीन रहते हुए, उक्त विनिर्देशों और उद्धरण के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) में उल्लिखित मात्राओं की अनुसूची में दिखाए गए और वर्णित कार्य को निष्पादित और पूरा करेगा।
4	नियोक्ता बोलीदाता को उक्त अनुबंध राशि या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो कोटेशन के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) में उल्लिखित शर्तों में निर्दिष्ट समय पर और तरीके से देय हो जाएगी।
5	कोटेशन के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) में उल्लिखित उक्त शर्तों और अनुलग्नकों को इस करार के हिस्से के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा और इसके लिए पार्टियां क्रमशः उक्त शर्तों का पालन करेंगी, खुद को प्रस्तुत करेंगी और अपनी ओर से समझौतों का पालन करेंगी उक्त शर्तों में क्रमशः शामिल हैं।

6	समय को इस अनुबंध का महत्वपूर्ण कारक माना जाएगा और बोलीदाता एतद्वारा कार्य आदेश संख्या ---/---/---/2024-25 दिनांकित _____ में जारी होने के दिन से आरएफक्यू के खंड 4.4 में उल्लिखित समयसीमा के अनुसार आरएफआईडी टैग को प्रिंट, आपूर्ति और संलग्न करने के लिए सहमत है।
7	<p>परिसमापन क्षति/जुर्माना:</p> <p>परिसंपत्तियों के लिए नए और प्रतिस्थापन आरएफआईडी टैग की आपूर्ति में देरी और टैग के लिए अनुरोध करने की तारीख से 15 दिनों से अधिक इन्वेंट्री पर टैग लगाने पर प्रति दिन ₹100/- (एक सौ रुपये मात्र) की राशि का जुर्माना लगेगा और फर्म के बिल से काट लिया जाएगा।</p> <p>सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी (दोषपूर्ण टैग की आपूर्ति के किसी भी उदाहरण सहित, निर्धारित समय-अवधि के भीतर भौतिक सत्यापन और रेकन्सिलीऐशन अभ्यास आदि को पूरा करने में देरी सहित) पर प्रति घटना ₹1000/- (केवल एक हजार रुपये) की राशि का जुर्माना लगेगा और फर्म के बिल से काट लिया जाएगा।</p> <p>कृपया ध्यान दें कि ऊपर उल्लिखित प्रत्येक प्रकार की कमी को अलग/व्यक्तिगत उदाहरण के रूप में गिना जाएगा। यदि परिसमापन क्षति/दंड के प्रकार का निर्धारण करने में कोई मतभेद है, तो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय अंतिम और विक्रेता के लिए बाध्यकारी होगा।</p> <p>नियोक्ता बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा जमा/निष्पादन बैंक गारंटी को जब्त करने/लागू करने या अन्य उपलब्ध कानूनी उपायों को अपनाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।</p> <p>ऊपर उल्लिखित प्रत्येक प्रकार की कमी को अलग-अलग/व्यक्तिगत उदाहरण के रूप में गिना जाएगा।</p> <p>डिफॉल्ट की समाप्ति:</p> <p>बोलीदाता इस बात से सहमत है कि आरएफक्यू के खंड 3.6 के आधार पर निष्पादन बैंक गारंटी/प्रतिभूति जमा जब्त कर ली जाएगी।</p>

8	इस अनुबंध के तहत बैंक द्वारा सभी भुगतान चालान जमा करने पर और लागू करों की कटौती के बाद, यदि कोई हो, बोली लगाने वाले के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाएंगे।
9	इस करार से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवादों को देहरादून में उत्पन्न माना जाएगा और केवल देहरादून की अदालतों के पास इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।
10	इस अनुबंध को बोलीदाता द्वारा पढ़ा और पूरी तरह से समझा गया है।
11	<p>गैर-प्रकटीकरण खंड</p> <p>बोलीदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस अनुबंध के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान बोलीदाता के कब्जे या जानकारी में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। बोलीदाता करार के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। बोलीदाता नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। बोलीदाता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।</p> <p>बोलीदाता और नियोक्ता हर्जाने का दावा करने और कानूनी उपचार करने के हकदार होंगे। बोलीदाता अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस अनुबंध के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में बोलीदाता के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी जीवित रहेंगे।</p>

12	<p>यौन उत्पीड़न की रोकथाम</p> <p>बोलीदाता/एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013" के प्रावधान के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। बैंक के परिसर के भीतर अपने किसी भी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत बोलीदाता द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और बोलीदाता शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। बैंक के कर्मचारी के खिलाफ बोलीदाता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।</p> <p>बोलीदाता किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे बोली लगाने वाले के कर्मचारियों को शामिल होने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि बोलीदाता के कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न साबित हो जाता है। बोलीदाता अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा</p> <p>कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और संबंधित मुद्दों की रोकथाम।</p>
13	<p>बोलीदाता ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 और अन्य सभी लागू कानूनों और उसके अंतर्गत आने वाले नियमों का अनुपालन करने के लिए अपेक्षित सभी कार्रवाई करेगा, जिसमें विशेष रूप से उपयुक्त प्राधिकारी के साथ, लाइसेंस प्राप्त करना, रजिस्टरों और अभिलेखों का रख-रखाव करना, कामगारों को मजदूरी का भुगतान, कानून के अंतर्गत यथा निर्धारित कल्याणकारी उपाय आदि शामिल हैं। लागू कानून का कोई उल्लंघन होने पर ठेकेदार उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी होगा।</p>
14	<p>बोलीदाता क्षतिपूर्ति करेगा और भारतीय रिजर्व बैंक को क्षतिपूर्ति देगा:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अनुबंध के तहत कार्य के निष्पादन के कारण/उसके दौरान जीवन या संपत्ति को तीसरे पक्ष के नुकसान / क्षति से उत्पन्न होने वाला कोई भी दावा। 2. कार्य के निष्पादन के दौरान ठेकेदार द्वारा लगाए गए कामगारों को हानि/क्षति से उत्पन्न होने वाला कोई भी दावा। 3. लागू पीएफ/श्रम कानूनों, ईएसआई का पालन न करने के कारण कोई भी दावा, विनियम, आदि।

15	<p>बोलीदाता मौजूदा कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार उसके द्वारा नियोजित कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेगा। इसके अलावा, कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस और/या लाभांश और ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत ईएसआई जैसा भी लागू हो सकता है, दिया जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा के अभाव में, बोलीदाता कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत कामगार प्रतिकर बीमा जैसे बीमा के कवरेज के लिए दायित्व वहन करेगा। कुल प्रीमियम बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा। बोलीदाता के पास एक वैध ईपीएफ खाता होगा अपने कर्मचारियों के लिए ईपीएफ योगदान करना। किसी भी वैधानिक भुगतान के गैर-अनुपालन के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में; बोलीदाता के जोखिम और लागत पर अनुबंध को समाप्त करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बिल से कटौती की जाएगी। बोलीदाता को ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और अन्य सभी लागू कानूनों के सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करना होगा। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार बोलीदाता 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा। बोलीदाता किसी भी परिस्थिति में बोलीदाता और उसके कर्मचारियों के बीच विवाद के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी दंड या दावे के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। यदि कोई दावा या जुर्माना बोलीदाता और उसके कर्मचारियों के बीच विवाद के कारण बैंक के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है, तो उसे बोलीदाता से वसूल किया जाएगा।</p> <ol style="list-style-type: none"> बोलीदाता अपने श्रमिकों और सामग्रियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करेगा और कार्य पूरा करेगा। बोलीदाता इस अनुबंध के तहत कवर की गई सेवाओं के मामले में लागू राज्य या केंद्रीय कानून के तहत आवश्यक लाइसेंस, यदि कोई हो, को अपनी लागत पर प्राप्त करेगा। बोलीदाता को सुरक्षा से संबंधित सभी प्रक्रियाओं/मानदंडों का पालन करना होगा और बैंक के परिसर की सुरक्षा।
----	--

16	<p>जोखिम और लागत खंड: बोलीदाता की ओर से समझौते के किसी भी नियम और शर्तों की किसी भी विफलता या उल्लंघन की स्थिति में, बैंक को बिना किसी पूर्वाग्रह के, बोलीदाता के जोखिम और लागत पर किसी अन्य वैकल्पिक एजेंसी के माध्यम से काम करने का अधिकार होगा। बैंक द्वारा की गई अतिरिक्त लागत और हानि, यदि कोई हो, की वसूली बोलीदाता से की जाएगी, जिसमें निष्पादन बैंक गारंटी का आह्वान करना या प्रतिभूति जमा की जब्ती शामिल है।</p>
----	--

17

बोलीदाता के कर्मचारी

बोलीदाता द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षित और अनुभवी लोग अच्छे स्वास्थ्य और चरित्र, अच्छा व्यवहार करने वाले, आजाकारी और अपने कार्यों में कुशल होंगे। उन्हें हिंदी, मराठी में पारंगत होना चाहिए और अंग्रेजी का कामकाजी ज्ञान होना चाहिए।

- i. बोलीदाता को बैंक के परिसर में ड्यूटी पर लगाने से पहले अपने कर्मियों के चरित्र और पूर्ववृत्त पर पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र और नाम, माता-पिता, आयु और स्थायी पते से संबंधित अन्य विवरण प्राप्त करना होगा, जो उनके पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ इस अनुबंध के तहत प्रदान किए जाने हैं।
 - ii. बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षित और सक्षम व्यक्तियों को तैनात किया जाए, जो शारीरिक रूप से फिट हैं (यानी अधिमानतः श्रमिकों और पर्यवेक्षक के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच) और किसी भी पुरानी या संक्रामक बीमारियों से पीड़ित नहीं हैं जो कार्य को कुशलतापूर्वक करने में उनकी क्षमता में बाधा डाल सकते हैं। बोलीदाता कर्मचारियों को इस तरह से तैनात करेगा कि उन्हें साप्ताहिक आराम मिले। बोलीदाता संचारी रोग से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को हटा देगा और उन्हें ऐसी बीमारी से इलाज/ठीक होने के बाद ही तैनात कर सकता है जो कार्य को कुशलतापूर्वक करने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
 - iii.
- बैंक और इस करार के उद्देश्य के लिए लगे व्यक्तियों के बीच कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होगा। बोलीदाता द्वारा तैनात सभी श्रमिकों या व्यक्तियों को बोलीदाता का कर्मचारी माना जाएगा और अच्छे आचरण/अनुशासन और तैनाती के उद्देश्य से बोलीदाता के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में माना जाएगा, और भारतीय रिज़र्व बैंक का ऐसे श्रमिकों/कर्मचारियों के संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा।

- iv. बोलीदाता उन व्यक्तियों को वेतन, वैधानिक न्यूनतम मजदूरी और अन्य कानूनी बकाया के भुगतान के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा जो समझौते के तहत बैंक द्वारा आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नियोजित हैं।
- v. बोलीदाता अपने द्वारा नियोजित श्रमिकों को इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा मजदूरी/वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा और इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि वेतन/मजदूरी का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, बोलीदाता प्रत्येक माह इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि संपर्क श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के तहत सहित विभिन्न श्रम कानूनों के तहत सभी दायित्वों का अनुपालन किया जाता है। बैंक को बोलीदाता द्वारा भुगतान

	<p>किए गए मजदूरी/वेतन के विवरण को सत्यापित करने के लिए बोलीदाता से बैंक विवरण मांगने का अधिकार होगा और किसी भी अन्य दस्तावेज की मांग करने का भी अधिकार होगा जो बोलीदाता द्वारा विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन का पता लगाने के लिए आवश्यक हैं।</p>
vi.	<p>बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारी, बैंक के परिसर में रहते हुए या इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करते समय, बैंक या उसके अधिकृत एजेंटों द्वारा निर्धारित स्वच्छता, शिष्टाचार, सुरक्षा, अच्छे व्यवहार और सामान्य अनुशासन के मानकों का पालन करते हैं और बैंक एकमात्र निर्णयकर्ता होगा कि बोलीदाता और/या उसके कर्मचारियों ने इसका पालन किया है या नहीं। बोलीदाता अपने कर्मचारियों के अच्छे व्यवहार और आचरण के लिए जिम्मेदार होगा और बैंक द्वारा किसी भी शिकायत के मामले में, बोलीदाता ऐसे कर्मचारियों को बैंक के परिसर में नियुक्त नहीं करेगा।</p>
vii.	<p>बोलीदाता व्यक्तिगत रूप से और विशेष रूप से सभी कर्मचारियों के काम की निगरानी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत प्रदान की गई सेवाएं बैंक की सर्वोत्तम संतुष्टि के लिए की जाती हैं।</p>
viii.	<p>बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि बोलीदाता का कोई भी कर्मचारी बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ बोलीदाता के दायित्वों को पूरा करने के लिए बिल्कुल आवश्यक न हो, निर्दिष्ट समय सीमा/इयूटी घंटों से अधिक बैंक के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा या नहीं रहेगा। बैंक बोलीदाता के किसी भी कर्मचारी को अपने परिसर के अंदर कोई आश्रय/आवास प्रदान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।</p>
ix.	<p>बोलीदाता को रिजर्व बैंक में तैनात किए जाने वाले अपने कर्मचारियों की सूची, उनकी योग्यता, अनुभव, पता, फोटो आदि के साथ प्रस्तुत करना होगा। कर्मियों में कोई भी बदलाव बैंक को उचित सूचना देकर किया जाएगा। तथापि, बैंक के पास भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए किसी विशेष कर्मचारियों/कर्मचारियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।</p>
x.	<p>बोलीदाता द्वारा तैनात सभी कर्मचारियों को बोलीदाता द्वारा पहचान पत्र प्रदान किए जाएंगे, जो यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक के परिसर में काम करते समय उसके सभी कर्मचारी और एजेंट हर समय पहचान पत्र धारण करें।</p>
xi.	<p>बोलीदाता सहमत है और वचन देता है कि वे इस करार के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए उनके द्वारा नियोजित/लगे सभी व्यक्तियों को यह स्पष्ट कर देंगे कि वे बोलीदाता के कर्मचारी हैं और उनका बैंक के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा और बैंक अनुबंध को निष्पादित करने के लिए मजदूरी, वेतन या किसी अन्य प्रकार के मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा या श्रम कानून और/या के तहत कोई अन्य वैधानिक लाभ प्रदान करेगा कोई अन्य कानून और बोलीदाता अपने कर्मचारियों को प्रासंगिक कानून/नियमों/सेवा शर्तों के तहत स्वीकार्य ऐसी सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।</p>

	<p>xii. इस करार के उद्देश्य के लिए तैनात व्यक्ति नशे की हालत में या किसी नशीली सामग्री के प्रभाव में नहीं होंगे। बोलीदाता अपने कर्मचारियों को सूचित करेगा कि बैंक के परिसर में धूमपान, शराब पीना, पैन चबाना/तंबाकू पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक के परिसर में तैनात कर्मचारी इस नियम का सख्ती से पालन करें।</p> <p>xiii. बोलीदाता अनुबंध की समाप्ति/समाप्ति पर बैंक के परिसर में उनके द्वारा तैनात सभी श्रमिकों को तुरंत हटा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्ति बैंक के परिसर में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान/बाधा/समस्या/उपद्रव पैदा नहीं करेंगे।</p>
18	<p>अप्रत्याशित घटना:</p> <p>बोलीदाता अपने ईएमडी की जब्ती, परिसमापन क्षति या डिफॉल्ट के लिए समाप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रदर्शन में देरी या अन्य विफलता अप्रत्याशित घटना की घटना का परिणाम है, बशर्ते कि बोलीदाता बैंक को ऐसी घटना के बारे में सात दिनों के भीतर सूचित करे। खंड के प्रयोजनों के लिए, "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ है बोलीदाता के नियंत्रण से परे एक घटना और बोलीदाता की गलती या लापरवाही को शामिल नहीं करना और अनुमानित नहीं। इस तरह की घटनाओं में युद्ध, आग, बाढ़, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, माल प्रतिबंध आदि शामिल हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यह तय करेगा कि बोलीदाता की ओर से देरी या विफलता उनके नियंत्रण से बाहर किसी घटना का परिणाम थी या नहीं। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय अंतिम और आपूर्तिकर्ता के लिए बाध्यकारी होना चाहिए और किसी भी कार्यवाही में किसी भी अदालत/मंच के समक्ष प्रश्न करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा।</p>
19	<p>परिचालनीय बैठक</p> <p>बोलीदाता और बैंक इस करार के तहत बोलीदाता द्वारा प्रदान किए गए प्रदर्शन, स्थिति और डिलिवरेबल्स की समीक्षा करने के लिए बैंक द्वारा तय किए गए ऐसे समय और आवृत्ति पर परिचालनीय बैठकें आयोजित करने के लिए सहमत होते हैं। ये बैठकें प्रगति की निगरानी करने, मुद्दों को संबोधित करने और सहमत उद्देश्यों और सेवा स्तरों के साथ समरूपता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेंगी। बोलीदाता और बैंक दोनों के प्रतिनिधि बैठकों में भाग लेंगे।</p>

यदि बोलीदाता एक साझेदारी या एक व्यक्ति है	जिसके गवाह में नियोक्ता और बोलीदाता ने इस करार के लिए अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं और इसे दो डुप्लिकेट में तैयार किया गया है जिसके संबंध में दिन और वर्ष यहाँ उल्लिखित है।
यदि बोलीदाता एक कंपनी है	जिसके गवाह में नियोक्ता ने अपने विधिवत अधिकृत अधिकारी के माध्यम से इस करार के लिए हस्ताक्षर किए हैं और बोलीदाता ने अपनी कॉमन मुहर लगाई है और उक्त की दो डुप्लिकेट में से निष्पादित किया गया है जिसके संबंध में दिन और वर्ष यहाँ उल्लिखित है।

हस्ताक्षर खंडः	
की ओर से हस्ताक्षरित और निष्पादित	

श्री _____ की उपस्थिति में (1) _____ (नाम और पता) (2) _____ (नाम और पता) गवाह	
द्वारा हस्ताक्षरित और निष्पादित श्री _____ की उपस्थिति में (1) _____ (नाम और पता) (2) _____ (नाम और पता) गवाह	यदि पार्टी एक साझेदारी फर्म या व्यक्ति है
निम्नलिखित की उपस्थिति में _____ को आयोजित बैठक में इसके निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसार _____ की कॉमन मुहर लगाई गई - (1) _____ (2) _____	यदि बोलीदाता कॉमन मुहर के साथ हस्ताक्षर करता है, तो - _____ हस्ताक्षर खंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के खंड के साथ मेल खाना चाहिए
जिन निदेशकों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं, उनकी उपस्थिति में - (1) _____ (2) _____	
श्री _____ और विधिवत घोषित प्रतिनिधि _____ की ओर से से बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित और निष्पादित।	यदि अनुबंध पर पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, चाहे वह कंपनी हो या कोई व्यक्ति



भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय के लिए
आरएफआईडी आधारित अचल संपत्ति प्रबंधन सोल्युशन (एफएमएस)

भाग 2 - मूल्य बोली

भारतीय रिजर्व बैंक
देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय

बोलीदाता का नाम :.....

बोली लगाने वाले का पता:.....

..... बोली लगाने वाले का संपर्क नंबर:

.....
बोलीदाता की ईमेल आईडी:

बोलीदाता के प्रतिनिधि का नाम और पदनाम :.....

जमा करने की अंतिम तिथि: 04 जनवरी, 2025 से 17.00 बजे तक

मूल्य बोली के लिए प्रारूप

क्रम सं	ब्योरा	अनुमानित मात्रा (नहीं)	दर (₹) प्रति टैग	राशि (₹)
		(1)	(2)	(3) = (1) x (2)

खंड ए - हार्डवेयर आवश्यकता (प्रतिस्थापन सहित निम्नलिखित आरएफआईडी टैग की आपूर्ति):

1.	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए आरएफआईडी टैग	148		
2	गैर-इलेक्ट्रॉनिक धातु वस्तुओं के लिए आरएफआईडी टैग	20		
3	गैर-इलेक्ट्रॉनिक गैर-धातु वस्तुओं के लिए आरएफआईडी टैग	20		
कर				
कुल मूल्य (A)				

ऊपर उल्लिखित टैग की संख्या अनुमानित है, यह संबंधित छमाही के दौरान खरीदी गई संपत्ति के आधार पर भिन्न हो सकता है। बिल का भुगतान करते समय, उसी अर्ध-वार्षिक अभ्यास के दौरान लागू टैग की वास्तविक संख्या पर विचार किया जाएगा।

खंड बी - अर्ध-वार्षिक रेकन्सिलीएशन सेवाएं (1 वर्ष की अवधि के लिए) *:

*शुल्क केवल नीचे बताए अनुसार की जाने वाली सेवाओं के लिए होना चाहिए। किसी भी हार्डवेयर आवश्यकताओं के लिए, खंड ए में उल्लिखित अलग-अलग शुल्क लागू होंगे।

क्रम सं	ब्योरा	01 छमाही के रेकन्सिलीएशन के लिए दर (₹)	छमाही की संख्या (5)	राशि (₹)
		(4)		(6) = (4) x (5)
1.	अर्ध-वार्षिक रेकन्सिलीएशन के लिए शुल्क (जून और दिसंबर को समाप्त होने वाली छमाही की अवधि)		2	
कर				
कुल मूल्य (B)				
समग्र कुल (ए + बी)				
शब्दों में कुल योग (INR):				

स्टाम्प/तिथि के साथ बोलीदाता के हस्ताक्षर